केवल शासकीय उपयोग हेतु

नगरपालिका निर्वाचन

के लिए

मतदाता सूची

तैयार करने के संबंध में

निर्देश – पुस्तिका

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर
(मार्च 2004)

प्राक्कथन

1. मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। मतदाता सूची जितनी सही और दोषरहित होगी चुनाव उतने ही साफ सुथरे होंगे। अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूची में ऐसे सब लोगों के नाम सम्मिलित हो जिन्हें कानून के अन्तर्गत मत देने का अधिकार प्राप्त है; और साथ ही ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम सूची में सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित उनके महत्वपूर्ण दायित्वों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस पुस्तिका का प्रकाशन कराया गया है। इसमें नगर पालिका विधि तथा निर्वाचन नियमों एवं अन्य बातों का समावेश किया गया है, जो विगत उप चुनावों के अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतीत हुई।

3. यद्यपि इस बात का प्रयास किया गया है, कि इन निर्देशों में सभी आवश्यक बातें सम्मिलित हो जाएं जिनका संबंध मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में संलग्न विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से आता है फिर भी इन निर्देशों को सर्वसमावेशी नहीं समझा जाना चाहिए और सुसंगत निर्वाचन विधि तथा नियमों को भी साथ में देख लिया जाना चाहिए।

4. आशा है कि मतदाता सूचियाँ तैयार करने के कार्य से सम्बद्ध अधिकारी और कर्मचारी इन निर्देशों का सावधानी से अनुशीलन करेंगे ताकि नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिये सहीं मतदाता सूचियाँ तैयार हो सके।

5. यहां यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन संबंधी ऐसे निर्देश जो मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2000 के पहले जारी किए गए थे, उन सभी निर्देशों/अनुदेशों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 4128/2458/न.प्र./2001 मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन्–2000) दिनांक 4 दिसंबर, 2001 द्वारा प्रवृत्त किया गया है।

रायपुर – मार्च, 2004

(डॉ0 सुशील त्रिवेदी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय–सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान	1
2	मतदाता सूची तैयार करना	5
3.	मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन	15
4.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना.	19
5.	कपितय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना	22
6.	दावों और आपत्तियों में जांच और उनका निपटारा	24
7.	अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उसका प्रकाशन	27
8.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील	30
9.	विविध	31

परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
एक	मतदाताओं की अर्हता/निरर्हता सम्बन्धी कानूनी प्रावधान	32
दो	मतदाता सूची से सम्बन्धित छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994	38
तीन	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी	43
चार	''आधार पत्रक'' विधान सभा निर्वाचन नामावली के भाग और उनके अन्तर्गत आने वाले वार्ड	45
पांच	मतदाता सूची का नमूना (फॉरमैट)	47

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
छः	मतदाता सूची का मुख्य पृष्ठ	50
सात	प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति	51
आठ	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति	53
नौ	मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना	55
दस	दावा आवेदन का प्ररूप (प्ररूप–क)	56
ग्यारह	मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति का प्ररूप (प्ररूप–ख)	59
बारह	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति का प्ररूप (प्ररूप–ग)	61
तेरह	दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण	64
चौदह	मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के लिए सूचना (स्वप्रेरणा से)	65
पन्द्रह	मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए सूचना (स्वप्रेरणा से)	66
सोलह	दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर	67
सत्रह	मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के लिए आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना (प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर)	68
अठारह	अनुपूरक मतदाता सूची	70
उन्नीस	मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना	71
बीस	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील	72
इक्कीस	अपील प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली सूचना	74

अध्याय–1

मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान

प्रत्येक नगरपालिका (अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत) के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का दायित्व संविधान के अनुच्छेद–243 जेड–ए के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है. ठीक ऐसा ही आनुषंगिक प्रावधान छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 में भी है.

1. **प्रशासनिक तंत्रः**

छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2 (ग) में, प्रत्येक जिले में नगरपालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, कलेक्टर को पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के रूप में नियुक्त किया गया है.

आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व **जिला निर्वाचन अधिकारी** का है. उसके नियंत्रण और सर्वोपरि भूमिका के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका की मतदाता सूची, वार्डवार तैयार करने, उसे प्रकाशित करने, उसके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने और उनका निपटारा करके सूची को अन्तिम रूप देने का दायित्व, ऐसे नगरपालिका के लिए नियुक्त किए गए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का है.

(1) **रजिस्ट्रीकरण अधिकारी** की नियुक्ति छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम, 1994 के नियम–2 (ट) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए **प्रत्येक नगरपालिका में, वार्डों की संख्या के अनुसार, एक या अधिक, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी** भी नियुक्त किये जाते है. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की समस्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है. विभिन्न स्तर के **राजस्व अधिकारियों** को ही **सामान्यतया रजिस्ट्रीकरण अधिकारी** तथा **सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी** नियुक्त किया जाता है.

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में सम्बन्धित नगरपालिका का सम्पूर्ण क्षेत्र रहता है और वह सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन देने तथा उनके कार्य के पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य निम्नांकित हैः–

(i) मतदाता सूची तैयार करना और उसके प्रारंभिक प्रकाशन के लिए आवश्यक प्रचार–प्रसार करना.

(ii) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देना और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना.

(iii) मतदाता सूची का आम नागरिकों द्वारा निरीक्षण करने तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के उपयुक्त स्थानों (केन्द्रों) का निर्धारण करना और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था करना.

(iv) निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का चयन करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उन्हें आवश्यक प्ररूप (फार्म) तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना.

(v) दावों तथा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त मतदाता सूची को अंतिम रूप देना; उसके मुद्रण में ''प्रूफ रीडिंग'' की व्यवस्था करना तथा मुद्रण के उपरान्त सूची का अंतिम प्रकाशन करना.

(vi) अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का सशुल्क निरीक्षण करने या उसके किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने तथा सूची के विक्रय की व्यवस्था करना.

(vii) अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची, सभी कागज-पत्रों सहित (जिसमें प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावों और आपत्तियों से संबंधित प्रकरण और उनमें पारित आदेश सम्मिलित हैं) जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना.

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति **अपील प्राधिकारी** के रूप में अभिहित अधिकारी को अपील कर सकता है. अपील अधिकारी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2(ख) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है.

2. कानूनी प्रावधान:

(1) अधिनियम.- छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मतदाताओं की अर्हता या निरर्हता तथा मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में जो प्रावधान हैं, उनका उद्धरण **परिशिष्ट-एक** पर है.

(2) नियम.- उपरोक्त दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गये ''निर्वाचन नियम'' साझे स्वरूप (common)के हैं तथा **''छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994'' कहलाते हैं.** इन नियमों के अन्तर्गत मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित प्रावधान **परिशिष्ट-दो** पर उद्धृत हैं.

3. पदाभिहित अधिकारी:

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन अधिकारियों को विभिन्न स्तरों की नगरपालिकाओं के लिये नियम 2 (ट) के अंतर्गत, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और

नियम 2 (ख) के अंतर्गत अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट–तीन पर है. पेज–41

4. मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए अर्हता और निरर्हता:

(i) प्रत्येक नगरपालिका के लिये मतदाता सूची **वार्डवार** तैयार की जाएगी.

(ii) मतदाता सूची तैयार करने के लिये **अर्हकारी तारीख** (Qualifying date) उस वर्ष की पहली **जनवरी होगी, जिस वर्ष में उसे तैयार किया जाए,**

(iii) मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिए अर्हता.– कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वह–

(क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम **दिन) 18 वर्ष** से कम आयु का नहीं है,

(ख) उस नगरपालिका के क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी (सामान्यत: निवासी) है, और

(ग) विधान सभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त वार्ड से संबंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित है.

(iv) मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये निरर्हता.– कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) पागल (विकृत चित्त का) है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या

(घ) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है.

(ङ) जो फिलहाल चुनाव के संबंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान करने के लिये अयोग्य है.

(v) किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, नाम उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा:

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है, उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो.

अध्याय–2
मतदाता सूची तैयार करना

1. किसी नगरपालिका के साधारण निर्वाचन अथवा महापौर/अध्यक्ष के प्रत्यक्ष उप–निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयार करना:

पूर्व से गठित नगरपालिका के विघटन या अधिक्रमण अथवा उसके कार्यालय के अवसान पर आयोजित साधारण निर्वाचन के लिये अथवा महापौर/अध्यक्ष के प्रत्यक्ष उप–निर्वाचन के लिये मतदाता सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी:–

(1) यदि नगरपालिका के पिछले साधारण निर्वाचन अथवा महापौर/अध्यक्ष के प्रत्यक्ष उप–निर्वाचन के संदर्भ में तैयार की गई वार्डवार मतदाता सूची उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की हो जिसमें कि निर्वाचन होना है, तो वही सूची प्रारूप सूची के तौर पर प्रारंभिक प्रकाशन हेतु उपयोग में लाई जाएगी.

(2) यदि नगरपालिका की मतदाता सूची गत वर्ष से पहले के किसी वर्ष की हो अथवा वह गत वर्ष पार्षद के किसी रिक्त स्थान को भरने के लिए आयोजित उप–निर्वाचन के सन्दर्भ में सूक्ष्म रूप से पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार की गई हो तो उसका व्यापक पुनरीक्षण किया जाएगा. इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:–

(i) उप जिला–निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरपालिका की **पिछली मतदाता सूची की दो प्रतियां** अपने स्टॉक **से निकालकर,** सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही, विधान सभा **की निर्वाचक नामावली** (जिसमें कि सम्बन्धित नगरपालिका का क्षेत्र शामिल है) **की दो प्रतियां भी** जिला निर्वाचन शाखा से प्राप्त कर, उपलब्ध कराई जाएंगी. सूचियां रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजने के पूर्व उप–जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, स्वयं इस बात की सावधानी से जांच कर ली जाए कि वे परिपूर्ण हैं और उनका कोई अंश या अनुपूरक भाग छूटा नहीं है.

(ii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने सहयोगी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सम्बन्धित नगरपालिका के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी की सहायता से **नगरपालिका की पुरानी मतदाता सूची का, विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली के साथ, वार्डवार मिलान करके, उसे अद्यतन** (Update) **किया जाए.** इसका सहज तरीका यह है कि दो–दो कर्मचारियों की टोलियां बनाकर प्रत्येक टोली के एक कर्मचारी को नगरपालिका की ''मतदाता सूची'' तथा दूसरे को विधान सभा की ''प्रचलित निर्वाचक नामावली'' का सुसंगत भाग सौंपा जाए. पहला कर्मचारी नगरपालिका की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के नाम क्रमश: पढ़ता जाएगा तथा उनके सामने सही का निशान (✓) लगाता जाएगा जबकि दूसरा कर्मचारी विधान सभा के सुसंगत भाग–अनुक्रमांक की निर्वाचक नामावली में उन नामों के सामने सही का निशान (✓) लगाता जाएगा. इस प्रकार वार्डवार

मिलान का कार्य पूरा हो जाने पर, विधान सभा की निर्वाचक नामावली के, विचाराधीन वार्ड से सम्बन्धित भाग में जो नाम शेष रह जाएं उन्हें सम्बन्धित वार्ड या उसके सुसंगत भाग में सही स्थान पर, अर्थात् सुसंगत मकान नम्बर के पास जोड़ दिया जाए. इस बात का ध्यान रखा जाए कि विधान सभा निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग अनुक्रमांक में दर्ज सारे परिवर्धन (अर्थात् जुडे हुए अतिरिक्त नाम), सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में समायोजित (इन्टिग्रेड) हो जाएं. इसी प्रकार विधान सभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम संशोधित किये गये हों, (अर्थात् संशोधन सूची में सम्मिलित हों) वे यदि सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में भी अशुद्ध रूप से छपे हुए हों तो उन्हें लाल स्याही से संशोधित कर दिया जाए. इसी क्रम में, विधान सभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम काटे गये हों अर्थात् विलोपन सूची में सम्मिलित हों, उन्हें संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में भी लाल स्याही से काट दिया जाए. कदाचित यदि वार्ड की मूल मतदाता सूची में ऐसे नाम पहले से ही न हों तो उनके विलोपन का प्रश्न ही नहीं उठेगा.

यह सम्भव है कि वार्ड की मतदाता सूची में कुछ ऐसे नाम हों जो विधान सभा की ''निर्वाचक नामावली'' में समाविष्ट न हों. ऐसे अतिरिक्त नामों को (वार्ड की मतदाता सूची से) नहीं काटा जाना है. वे यथावत् बने रहेंगे.

उपरोक्तानुसार तैयार की गई प्रारम्भिक (प्रारूप) सूची (के प्रत्येक भाग क्रमांक) में सम्मिलित मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नम्बर) नये सिरे से सिलसिलेवार 1 से अन्त तक हाथ से लिखे जाएं.

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् वार्ड की सम्पूर्ण मतदाता सूची की, (उसके भागों सहित, यदि कोई हों) दो प्रतियां टंकित कराई जाएं. यही सूची वार्ड की प्रारम्भिक (प्रारूप) मतदाता सूची है.

संबंधित नगरपालिका आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को चाहिए कि वे सूची सही और समग्र होने के सम्बन्ध में अपनी तुष्टि के लिए नगरपालिका के कुछ वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों से उसकी नमूना जांच करा लें. यदि जांच में त्रुटियां पाई जाएं तो सूची की फिर से सावधानी से संवीक्षा की जाए और उसे दुरूस्त किया जाए. तदुपरान्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं सूची की नमूना जांच की जाए. उसके द्वारा विशेष तौर पर इस बात की जांच की जाए कि क्या सूची में नगरपालिका क्षेत्र के सामान्यतः निवासी संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य के नाम तथा नगरपालिका के महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षदों के नाम सम्मिलित हैं या नही? यदि इनमें से किसी का नाम छूटा होना पाया जाए तो सूची की एक बार पुनः सावधानी से संवीक्षा करके उसे सुधारा जाए, सूची के पूर्ण और सही होने के सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाने पर रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पाण्डुलिपियों की दोनों प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किए जाएं और अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाए । वार्डवार तैयार की गई पाण्डुलिपियों की इन

प्रतियों को समेकित करके, **सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र की वार्डवार मतदाता सूची के दो सेट्स तैयार किये जाएं.**

प्रत्येक ''सेट'' के आरंभ में, **परिशिष्ट–छः** में दिए गए प्ररूप के अनुसार सार–विवरण दर्शाने वाला मुख्य पृष्ठ संलग्न किया जाए. एक ''सेट'' अपने पास रखते हुए, दूसरा ''सेट'' रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रणार्थ भेज दिया जाएगा.

मुद्रणः– विभिन्न प्रयोजनों के लिए मतदाता सूची की निम्नांकित प्रतियों की आवश्यकता अनुमानित है:–

(i) नगर निगम/नगर पालिका परिषद् के मामले में – 100 प्रतियां

(ii) नगर पंचायत के मामले में – 50 प्रतियां

अतएव, जिला स्तर पर मुद्रण की तदनुसार कार्यवाही की जाए. प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची के पहले पृष्ठ को छोड़कर, जिसमें केवल सार विवरण (गोशवारा) मुद्रित किया जाएगा, बाद के प्रत्येक पृष्ठ में लगभग 90 मतदाताओं के नाम मुद्रित किए जाने चाहिए. अतएव, यदि किसी वार्ड (या उसके किसी भाग क्रमांक) में मतदाताओं की संख्या 1000 हो तो मुद्रित सूची का आकार 11 या 12 पृष्ठों का रहेगा.

मुद्रण के समय, प्रथम प्रति की सावधानी से 'प्रूफ रीडिंग' आवश्यक है. ''प्रूफ रीडिंग'' का दायित्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा. इसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं या किसी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों (जैसे कि पटवारियों) से कराया जाए ताकि सूची में कोई गलती, जैसे कि किसी मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुए नाम का मुद्रित हो जाना आदि, न रहने पाए.

2. नव–गठित नगरपालिका के प्रथम निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करनाः

(1) जब किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित करते हुए उसमें नई नगरपालिका गठित की जाए तो उसके प्रथम साधारण निर्वाचन के लिए मतदाता सूची, विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली (अर्थात् तत्समय प्रभावशील निर्वाचक नामावली), के आधार पर, तैयार की जाएगी. इस हेतु उप–जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस विधान सभा क्षेत्र की, जिसके अंतर्गत नव–गठित नगरपालिका का क्षेत्र आता है, प्रचलित निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां, जिला कार्यालय की निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जाएं और उन्हें नव–गठित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए. निर्वाचक नामावली की प्रतियां रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजने के पूर्व इस बात की सावधानी से जांच कर ली जाए कि वे पूर्ण हैं और उनके प्रत्येक भाग–अनुक्रमांक के साथ अनुपूरक सूची संलग्न है और वह अद्यतन है.

उक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नगरपालिका की वार्डवार मतदाता सूचियां अपने सहयोगी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और संबंधित नगरपालिका के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी की सहायता से, अपने कार्यालय में, निम्नानुसार तैयार की जाएं:–

(i) सर्वप्रथम विधानसभा की निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग अनुक्रमांक में सम्मिलित मकानों की अवस्थिति के अनुसार उनके समक्ष हाथ से उस वार्ड का क्रमांक (नंबर) लिखा जाए जिसके अंतर्गत वे मकान आते हैं.

(ii) तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के लिये, उसके अंतर्गत आने वाले मकानों और उनमें रहने वाले मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला एक ''आधार पत्रक'' **परिशिष्ट–चार** (भाग–1) के अनुसार तैयार किया जाए.

यह आवश्यक नहीं है कि निर्वाचक नामावली के किसी भाग–अनुक्रमांक में सम्मिलित सभी मकान (तथा मतदाता) एक ही वार्ड के अंतर्गत आएं. उनमें से कुछ एक वार्ड में और कुछ दूसरे वार्ड में हो सकते है. परन्तु किसी भी भाग अनुक्रमांक में सम्मिलित मकान (तथा मतदाता), नगरपालिका के किसी न किसी वार्ड में अवश्य ही परिलक्षित होने चाहिए.

(iii) उपरोक्तानुसार तैयार किये गये आधार–पत्रक का मौके पर, वार्डों की अधिसूचित सीमाओं के साथ मिलान किया जाए. ऐसा करना इसलिये आवश्यक है ताकि किसी वार्ड की अधिसूचित सीमा के अंदर स्थित कोई भी मकान/आवास स्थान उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित होने से रह न जाए और न ही उसमें ऐसा कोई मकान/आवास स्थान सम्मिलित होने पाए जो वस्तुतः उस वार्ड की अधिसूचित सीमा के अंतर्गत न होकर, उसके बाहर (अर्थात् किसी अन्य वार्ड में) स्थित है. मिलान का यह कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के नेतृत्व में गठित, राजस्व विभाग और नगरपालिका कर्मचारियों के संयुक्त दलों से कराया जाए. मिलान में कोई गलती पाई जाने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वार्ड की मतदाता सूची को तद्नुसार सुधार लिया जाए.

(2) **मतदाता सूची को भागों में बांटना**– यदि नगरपालिका बड़े आकार की हो तो यह स्वभाविक है कि **उसके प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक होगी.** ऐसे वार्डों की मतदाता सूची को, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक है, कार्य संचालन की सुविधा की दृष्टि से एक से अधिक भागों में बांटा जाए और प्रत्येक **भाग को एक भाग क्रमांक** (पार्ट–नम्बर) आवंटित किया जाए. यदि वार्ड की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 1000 से 2000 के बीच हो तो उसे दो भागों में, 2000 से 3000 के बीच हो तो तीन भागों आदि में बांटा जाए. मतदाता सूची को 1000 मतदाताओं तक के छोटे भागों में बांटने के पीछे उद्देश्य यह है कि सूची में सम्मिलित किसी मतदाता का नाम आसानी से खोजा जा सके और प्रत्येक भाग में सम्मिलित सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केन्द्र से सम्बद्ध कर मतदान कार्य सुविधाजनक ढंग से सम्पन्न कराया जा सके.

वार्ड की मतदाता सूची को भागों में बांटते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे प्रत्येक भाग को, मौके पर सहज दृश्य सीमा चिन्हों–जैसे कि सड़क, गली, नाला आदि से आसानी से विभेदित किया जा सके. आसानी से चिन्हित किए जा सकने वाले क्षेत्रों के आधार पर ही वार्ड की मतदाता सूची को भागों में विभक्त किया जाए. सूची को भागों में बांटते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वार्ड के विभिन्न भागों के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं की संख्या में बहुत अधिक अन्तर न हो. सामान्यतः यह अंतर 10 प्रतिशत के अंदर होना चाहिए. वार्ड की मतदाता सूची को भागों में बांटे जाने पर, प्रत्येक भाग को एक पृथक् भाग क्रमांक (पार्ट–नंबर) आवंटित किया जाए. प्रथम भाग को ''भाग क्रमांक–1'', दूसरे भाग को ''भाग क्रमांक–2'', आदि क्रमांक (नंबर) दिये जाएं. यदि वार्ड में मतदाताओं की संख्या 1000 से कम हो (जैसा कि नगर पंचायतों तथा छोटी नगरपालिका परिषदों में होता है) तो वार्ड की मतदाता सूची को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है.

तत्पश्चात्, आधार–पत्रक (के भाग–1) के आधार पर, विभिन्न वार्डों के भाग और उनके अंतर्गत आने वाले मकानों के नंबर और उनमें रहने वाले मतदाताओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण, परिशिष्ट–चार के भाग–2 में तैयार किया जाए. कार्यवाही की अगली कड़ी में, मतदाता सूची की पाण्डुलिपि इसी के आधार पर तैयार की जाएगी.

(3) मतदाता सूची की पाण्डुलिपि तैयार करना.– मतदाता सूची की पाण्डुलिपि तैयार करने के कार्य के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने सहयोगी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सहित, विभिन्न शासकीय कार्यालयों के कुछ चुने हुए कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित तारीख/तारीखों को अपने कार्यालय या तहसील मुख्यालय में एक साथ बुलाया जाए. इस कार्य हेतु उन्हीं कर्मचारियों का चयन किया जाय जिनका हस्त–लेखन अच्छा हो. चयनित प्रत्येक कर्मचारी को एक पूरा वार्ड (या नगर निगमों के मामले में उसके कुछ भागों) का कार्य सौंपा जाए. सामान्यतया, 7 या 8 कर्मचारियों के कार्य के पर्यवेक्षण का दायित्व एक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपा जाए. लेखन कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विधानसभा की निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग अनुक्रमांक के साथ संलग्न अनुपूरक सूची में दर्ज परिवर्धन (अर्थात् जोड़े हुए अतिरिक्त नाम), संशोधन (अर्थात् प्रविष्टियों में की गई त्रुटियों का सुधार) तथा विलोपन (अर्थात् नामावली में से विलोपित नाम) मूल सूची में एकीकृत (इन्टीग्रेड) कर दिये जाएं. दूसरे शब्दों में, अनुपूरक सूची में जो भी परिवर्धन दर्ज हों उन्हें मूल निर्वाचन नामावली में सही स्थान पर, (अर्थात् सुसंगत मकान नंबर के पास) लाल स्याही से दर्ज किया जाए. इसी प्रकार निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों (अर्थात् मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम तथा आयु) में त्रुटियों के सुधार से संबंधित जो संशोधन हुए हों, उन्हें भी मूल नामावली में यथास्थान लाल स्याही से सुधार दिया जाए. ठीक इसी प्रकार, जो नाम मृत्यु या नगर छोड़कर चले जाने से या पात्रता न रहने के कारण अनुपूरक सूची में विलोपन शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज हों, वे यदि मूल नामावली में लाल स्याही से न कटे हुए हों तो उन्हें लाल स्याही से काट दिया जाए. तदुपरान्त नामावली के प्रत्येक

भाग अनुक्रमांक में सम्मिलित मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नंबर) सिलसिलेवार 1 से अंत तक नए सिरे से लिख दिए जाएं.

उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के पश्चात्, **आधार-पत्रक (परिशिष्ट-चार के भाग-2) में उल्लिखित मकानों के अनुसार (और उसी क्रम में), वार्ड की मतदाता सूची की (भाग क्रमांकवार) पाण्डुलिपि, तैयार की जाए,** जिसमें प्रविष्टियों का क्रम निम्नानुसार रखा जाएः-

(1) क्रमांक,
(2) गृह क्रमांक (मकान नंबर),
(3) मतदाता का नाम,
(4) मतदाता के पिता/पति का नाम,
(5) पुरूष/महिला,
(6) आयु (जिस वर्ष सूची तैयार की गई है उस वर्ष की पहली जनवरी को)

पाण्डुलिपि में प्रविष्टियों को ''रनिंग मैटर'' **की तरह, दो स्तम्भों (कालम्स)** में लिखा जाए और प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर, बांई ओर ''वार्ड क्रमांक'' तथा कोष्ठक में नगरपालिका का नाम, बीच में पृष्ठ क्रमांक तथा दांई ओर सूची का ''भाग क्रमांक'' (यदि हो), लिखा जाए सूची में सम्मिलित प्रत्येक मोहल्ले का नाम उसकी शुरूआत में एक उप-शीर्षक के तौर पर, बड़े अक्षरों में अंकित किया जाए जिससे यह आसानी से देखा जा सके कि सूची में मोहल्ला कहां से (अर्थात् किस गृह क्रमांक से) शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है. प्रत्येक वार्ड या उसके भाग-क्रमांक की पाण्डुलिपि के प्रथम पृष्ठ को कोरा छोड़ दिया जाए ताकि सूची पूरी बन जाने पर, उसमें **परिशिष्ट-पांच** में दिए गए नमूने के अनुसार सार-विवरण (गोशवारा) अंकित किया जा सके. प्रत्येक वार्ड और (यदि वार्ड में एकाधिक भाग हों तो) प्रत्येक भाग-क्रमांक की मतदाता सूची में मतदाताओं के सरल क्रमांक, सदैव क्रमांक 1 से प्रारम्भ किए जाएं.

किसी वार्ड (या उसके किसी भाग क्रमांक की) पाण्डुलिपि तैयार हो जाने पर उसके अंत में संबंधित कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करेगा. साथ ही, सूची के प्रथम पृष्ठ के प्रारंभिक अर्धभाग में, जो कि कोरा छोड़ दिया गया था, **परिशिष्ट-पांच** में दिये गये नमूने के अनुसार, सार-विवरण (गोशवारा) दर्ज करेगा. तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड की पाण्डुलिपि की, वरिष्ठ स्तर के कुछ अन्य कर्मचारियों से जांच कराई जाए और यदि जांच में कोई त्रुटियां पाई जाएं तो उन्हें सुधार दिया जाए. जांच करने वाला कर्मचारी भी, जांच के पश्चात् सूची के अन्त में अपने हस्ताक्षर करेगा.

(4) **पाण्डुलिपि की नमूना जांच.**- रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पाण्डुलिपि की स्वयं नमूना जांच की जाए और उसके पूर्ण और सही होने के संबंध में संतुष्टि हो जाने पर उसके अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाए.

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस बात की विशेष तौर पर जांच की जाए कि नगरपालिका क्षेत्र के सामान्यतः निवासी संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य के नामों के साथ-साथ सूची में नगरपालिका के पार्षदों तथा महापौर/अध्यक्ष के नाम सम्मिलित हैं या नहीं? यदि इनमें से किसी का नाम छूट गया हो तो उसे जोड़ा जाए और सूची की एक बार पुनः सावधानी से संवीक्षा की जाए.

उपरोक्तानुसार विभिन्न वार्डों की पाण्डुलिपियाँ (हस्तलिखित सूचियां) तैयार हो जाने पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन्हें समेकित करके एक सेट (Set) बनाया जाए तथा उसकी एक फोटो कापी तैयार कराई जाए. इस प्रकार तैयार प्रत्येक ''सेट'' (Set) के आरंभ में **परिशिष्ट-छः** में दिये गये प्ररूप के अनुसार सार विवरण दर्शाने वाला मुख्य पृष्ठ संलग्न किया जाए. ''सेट'' की मूलप्रति अपनी अभिरक्षा में रखते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फोटो कापी वाला ''सेट'' जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.) को मुद्रणार्थ भेज दिया जाए.

(5) **मतदाता सूची का मुद्रण.**- विभिन्न प्रयोजनों के लिये मतदाता सूची की निम्नांकित प्रतियों की आवश्यकता अनुमानित है:-

(i) नगर निगम/नगर पालिका परिषद् के मामले में - 100 प्रतियां

(ii) नगर पंचायत के मामले में - 50 प्रतियां

अतएव, जिला स्तर पर मुद्रण की तदनुसार कार्यवाही की जाए. सूची के पहले पृष्ठ को छोड़कर, जिस पर केवल सार-विवरण (गोशवारा) मुद्रित रहेगा, बाद के प्रत्येक पृष्ठ में लगभग 90 मतदाताओं के नाम मुद्रित किए जाने चाहिए. अतएव, यदि किसी वार्ड (या उसके किसी भाग क्रमांक) में लगभग 1000 मतदाता हों तो, मुद्रित सूची का आकार 11 या 12 पृष्ठों का रहेगा.

मुद्रण के समय, प्रथम प्रति की सावधानी से 'प्रूफ रीडिंग' आवश्यक है. ''प्रूफ रीडिंग'' का दायित्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा. इसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं या किसी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों (जैसे कि पटवारियों) से कराया जाए ताकि सूची में कोई गलती-जैसे कि किसी मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुए नाम का मुद्रित हो जाना आदि, न रहने पाए.

3. किसी नगरपालिका में पार्षद के उप निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करना:

किसी नगरपालिका में पार्षद के रिक्त स्थान को भरने हेतु आयोजित उपनिर्वाचन के लिए मतदाता सूची निम्नानुसार तैयार की जाए:-

(1) यदि नगरपालिका के पिछले साधारण निर्वाचन अथवा महापौर/अध्यक्ष के प्रत्यक्ष उप निर्वाचन के सन्दर्भ तैयार की गई वार्डवार मतदाता सूची उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की हो, जिसमें कि निर्वाचन होना है तो वही सूची (प्रारूप सूची के तौर पर) प्रारंभिक प्रकाशन हेतु उपयोग में लाई जाएगी.

(2) यदि नगरपालिका की मतदाता सूची गत वर्ष से पूर्व के किसी वर्ष की हो अथवा वह गत वर्ष पार्षद के किसी रिक्त स्थान को भरने के लिए आयोजित उप निर्वाचन के संदर्भ में सूक्ष्म रूप से पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार की गई हो तो उसका, उस वार्ड के सन्दर्भ में व्यापक पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसमें कि उप-निर्वाचन होना है. इस हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जाए:-

(i) उप-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरपालिका की पिछली मतदाता सूची की दो प्रतियां अपने स्टॉक के निकालकर, संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएं. साथ ही, विधान सभा की सुसंगत निर्वाचक नामावली (जिसमें कि संबंधित नगरपालिका का क्षेत्र शामिल है) की दो प्रतियां भी जिला निर्वाचन शाखा से प्राप्त कर, उपलब्ध कराई जाएं. सूचियां रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजने के पूर्व उप-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, स्वयं इस बात की सावधानी से जांच कर ली जाए कि वे पूर्ण हैं और उनका कोई अंश या अनुपूरक भाग छूटा नहीं है.

(ii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने सहयोगी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की सहायता से उस वार्ड की मतदाता सूची का, जिसमें कि निर्वाचन होना है, विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग से मिलान करके उसे अद्यतन (Update) किया जाए. इस हेतु एक कर्मचारी को नगरपालिका के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची तथा दूसरे को विधान सभा की निर्वाचक नामावली का सुसंगत भाग सौंपा जाए. पहला कर्मचारी नगरपालिका के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के नाम क्रमशः पढ़ता जाएगा और दूसरा कर्मचारी विधान सभा के सुसंगत भाग-अनुक्रमांक की निर्वाचक नामावली में उन नामों के सामने सही का निशान (✓) लगाता जाएगा. इस प्रकार वार्ड की मतदाता सूची का मिलान पूरा हो जाने पर विधान सभा की निर्वाचक नामावली के, विचाराधीन वार्ड से सम्बन्धित भाग में जो नाम शेष रह जाएं उन्हें सम्बन्धित वार्ड या उसके सुसंगत भाग में सही स्थान पर अर्थात् सुसंगत मकान नम्बर के पास जोड़ दिया जाए. विधान सभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम संशोधित किये गये हों अर्थात् संशोधन सूची में सम्मिलित हों, यदि वे विचाराधीन वार्ड की मतदाता सूची में भी अशुद्ध रूप से छपे हुए हों तो उन्हें तो उन्हें लाल स्याही से संशोधित कर दिया जाए. इसी क्रम में, विधान सभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम कटे हुये हों (अर्थात् विलोपन सूची में सम्मिलित हों) उन्हें विचाराधीन वार्ड या उसके भाग क्रमांक की मतदाता सूची में भी लाल स्याही से काट दिया जाए. कदाचित् यदि वार्ड की मतदाता सूची में ऐसे नाम पहले से ही न हों तो उनके विलोपन का प्रश्न नहीं उठेगा.

यह संभव है कि वार्ड की मतदाता सूची में कुछ ऐसे नाम हों जो विधानसभा की ''निर्वाचक नामावली'' में समाविष्ट न हों. ऐसे अतिरिक्त नामों को (वार्ड की मतदाता सूची से) नहीं काटा जाना है, वे यथावत् बने रहेंगे.

तत्पश्चात् संशोधित सूची में सम्मिलित मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नम्बर) सिलसिलेवार 1 से अन्त तक नये सिरे से लिख दिए जाएं.

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् संशोधित सूची की एक स्वच्छ हस्त लिखित प्रति (पाण्डुलिपि) तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाए. यह कार्य कार्यालय के ऐसे कुछ चुने हुए कर्मचारियों से कराया जाए जिनकी हस्तलिपि अच्छी हो. जाहिर है कि यदि वार्ड की मतदाता सूची के एकाधिक भाग हों तो प्रत्येक भाग की सूची पृथकशः तैयार की जाएगी. सूची की, वार्ड के प्रत्येक भाग के लिये पाण्डुलिपि तैयार हो जाने पर किसी वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी से उनकी जांच कराई जाए और यदि जांच में कोई त्रुटि पाई जाए तो उसे सुधार दिया जाए. तदुपरान्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पाण्डुलिपि की स्वयं नमूना जांच की जाए और उसके पूर्ण और सही होने के संबंध में संतुष्टि हो जाने पर उसके अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाए.

मुद्रण.–(1) विभिन्न प्रयोजनों के लिये **प्रश्नाधीन वार्ड की मतदाता सूची** की 25 प्रतियों की आवश्यकता अनुमानित है. अतएव, जिला स्तर पर मुद्रण की तदनुसार कार्यवाही की जाए. सूची के पहले पृष्ठ को छोड़कर, जिस पर केवल सार–विवरण (गोशवारा) मुद्रित रहेगा, बाद के प्रत्येक पृष्ठ में **लगभग 90** मतदाताओं के नाम मुद्रित किए जाने चाहिए. अतएव, यदि किसी वार्ड (या उसके किसी भाग क्रमांक) में लगभग 1000 मतदाता हों तो, मुद्रित सूची का आकार 11 या 12 पृष्ठों का रहेगा.

मुद्रण के समय, प्रथम प्रति की सावधानी से 'प्रूफ रीडिंग' आवश्यक है. ''प्रूफ रीडिंग'' का दायित्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा. इसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं या किसी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों से कराया जाए ताकि सूची में कोई गलती, जैसे कि किसी मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुए नाम का मुद्रित हो जाना आदि, न रहने पाए.

(2) यह उल्लेखनीय है कि उस वार्ड को छोड़कर, जिसमें उप–निर्वाचन होना है, शेष वार्डों के मामले में मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण और मुद्रण आवश्यक नहीं है. फिर भी उनका प्रारम्भिक प्रकाशन करना और उनके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर देना (अर्थात् उनका संक्षिप्त पुनरीक्षण करना) जरूरी है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से उप–निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी नगरपालिका के किसी भी वार्ड का निवासी हो सकता है. अतः शेष वार्डों के मामले में मतदाताओं को दावे और आपत्तियां

प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए, नगरपालिका के पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई वार्डवार मतदाता सूचियों का एक-एक ''सेट'' सार्वजनिक निरीक्षण के लिए निम्नांकित कार्यालयों में रखा जाए और वहीं पर, निर्धारित अवधि के दौरान, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए:-

(1) कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी;

(2) सम्बन्धित नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का कार्यालय.

इन स्थानों पर प्रस्तुत दावों और आपत्तियों में सुनवाई और उनका निराकरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाए और तद्नुसार जिस-जिस वार्ड की मतदाता सूची को संशोधित करना आवश्यक हो उसे संशोधित किया जाए.

टीप:- यहां पर स्पष्ट करना समीचीन होगा कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-8 के अन्तर्गत पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई मतदाता सूची तब तक प्रवृत्त (प्रभावशील) रहती है जब तक कि उसे पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता. चूंकि किसी वार्ड विशेष में कराए जाने वाले उप-निर्वाचन में सामान्यतया ऐसे वार्ड को छोड़कर, अन्य वार्डों के मतदातागण, मतदाता सूचियों के संशोधन में कोई विशेष रूचि प्रदर्शित नहीं करते, अतएव शेष वार्डों की मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण (अर्थात् विधान सभा की निर्वाचक नामावलियों के आधार पर उन्हें नए सिरे से तैयार करना और उनमें संशोधन के लिए प्रत्येक वार्ड में प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त करना आदि) अनावश्यक है. और न ही पुनरीक्षण के पश्चात् उनका मुद्रण आवश्यक है. ऐसे वार्डों की मतदाता सूचियों में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या किसी प्रविष्टि को संशोधित या विलोपित कराने के इच्छुक मतदाताओं को इस हेतु समुचित अवसर देने के लिए पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई मतदाता सूची को प्रारम्भिक (प्रारूप) सूची के तौर पर उपयोग में लाया जाना और इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त केवल दो स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करना सर्वथा विधि सम्मत है.

अध्याय–3

मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन

1. मतदाता सूची के निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये स्थानों (केन्द्रों) का निर्धारण:

नगरपालिका की मतदाता सूची सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिये निम्नांकित स्थानों (केन्द्रों) पर उपलब्ध कराई जाए और ऐसे स्थानों पर दावे या आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जाए:–

(i) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय,

(ii) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय, तथा

(iii) संबंधित नगरपालिका का कार्यालय और यदि नगर में उसका कोई उप कार्यालय हो तो ऐसा कार्यालय,

(iv) अन्य स्थान:–

(क) **नगर पंचायतों तथा ऐसी नगरपालिका परिषदों के मामले में जिनमें वार्डों की संख्या 20 तक हों.**– मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है. परन्तु यदि नगर की बस्तियां दूर–दूर तक फैली हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने विवेक से केन्द्रीय अवस्थिति वाले एक या दो अतिरिक्त स्थानों पर भी मतदाता सूची के निरीक्षण और उसके संबंध में दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था की जा सकती है.

(ख) 20 से अधिक वार्डों वाली नगरपालिका परिषदों के मामले में 2 या 3 वार्डों के बीच में एक अतिरिक्त स्थान पर, तथा

(ग) नगर निगमों के मामले में प्रत्येक वार्ड में एक स्थान पर–

ऐसे अतिरिक्त स्थानों का चयन करते समय प्रशासनिक सुविधा के बजाय सार्वजनिक सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए. चयनित भवन ऐसा कोई भी सार्वजनिक भवन हो सकता है, जिसमें सामान्यतया निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र रहता है, जैसे कि:–

(i) राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम का कोई कार्यालय

(ii) कोई शासकीय महाविद्यालय/विद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र

(iii) शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था द्वारा संचालित कोई संस्थान/केन्द्र/विद्यालय

पार्षद के उप-निर्वाचन के मामले में विशेष उपबन्ध.- पार्षद के किसी उप-निर्वाचन के ठीक पूर्व मतदाता सूची के निरीक्षण और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये व्यवस्था केवल निम्नांकित स्थानों (केन्द्रों) पर की जाए:-

(i) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

(ii) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

(iii) संबंधित नगरपालिका का कार्यालय, तथा

(iv) 20 से अधिक वार्डों वाली नगरपालिका परिषद् एवं नगर निगम के मामले में, संबंधित वार्ड जिसमें कि पार्षद का स्थान रिक्त है, में केन्द्रीय अवस्थिति वाला कोई मतदान केन्द्र भवन.

2. प्रचार-प्रसार:

(1) उन स्थानों का जहां सार्वजनिक निरीक्षण के लिये मतदाता सूचियां या उनके सम्बद्ध भाग रखे जाने प्रस्तावित हों, **व्यापक** प्रचार-प्रसार किया जाए. प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की नगर स्थित इकाई और यदि नगर में कोई इकाई न हो तो जिला इकाई को, संबंधित नगरपालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य को तथा नगरपालिका के अध्यक्ष/महापौर और प्रत्येक पार्षद को उन स्थानों की जानकारी, जहां पर मतदाता सूची नि:शुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी, सूची के **प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व लिखित में भेजी जाए.** स्थानीय समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को भी इस संबंध में विज्ञप्तियां भेजी जाएं. इसके अतिरिक्त निम्नांकित उपाय भी अपनाए जा सकते हैं:-

(i) नगर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, जैसे कि बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, उचित मूल्य की दूकान, डेयरी, प्रमुख शासकीय कार्यालयों एवं शासन के उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं में पोस्टर लगाना.

(ii) सिनेमा हालों में स्लाइड्स का प्रदर्शन.

(2) मतदाता सूची तैयार हो जाने पर और हर हालत में उसके प्रारंभिक प्रकाशन के लिये निर्धारित तारीख के पूर्व, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की नगर स्थित इकाई को, और यदि नगर में ऐसी इकाई न हो तो जिला स्थित इकाई को, लिखित में इस आशय की सूचना भेजी जाए कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदाता सूची की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं. वर्तमान समय में निम्नांकित 6 राजनैतिक दल मान्यता प्राप्त हैं:

(1) इण्डियन नेशनल कांग्रेस (2) रा.का.पा. (3) बहुजन समाज पार्टी (4) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (5) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (6) भारतीय जनता पार्टी.

3. प्रशासनिक व्यवस्था:

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिये जो स्थान निर्धारित किए जाएं उनमें प्रत्येक में एक कर्मचारी नियुक्त किया जाना आवश्क है. सूची का निरीक्षण कराने तथा दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपयुक्त कर्मचारियों का चयन मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही कर लिया जाना चाहिए. ऐसे कर्मचारी सामान्यतया राजस्व निरीक्षक, नजूल सर्वेयर, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक, अंकेक्षक, पटवारी आदि तृतीय श्रेणी के कार्यपालिक कर्मचारी हों तो बेहतर होगा. यदि उक्त कर्मचारी आवश्यक संख्या में उपलब्ध न हों तो तृतीय श्रेणी के अन्य वरिष्ठ कर्मचारी (जैसे कि लेखापाल, उच्च श्रेणी लिपिक आदि) अथवा शिक्षकों का चयन किया जा सकता है. चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट–सात** में दिये गये प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जाए. परन्तु आदेश जारी करने के पूर्व चयनित कर्मचारियों की सूची का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर से प्राप्त कर लिया जाए.

जहां तक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रश्न है, सामान्यतया 3 प्राधिकृत कर्मचारियों के ऊपर (अर्थात् निरीक्षण के लिये निर्धारित 3 केन्द्रों के ऊपर) एक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं अपने कार्यालय में स्थापित केन्द्र सहित, एक या दो और केन्द्रों का प्रभार सीधे अपने पास रखना चाहिए. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क साधकर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश, सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रसारित करा लेने चाहिए. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, उनके नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट–आठ** में दिये गये प्ररूप में प्रसारित किए जाएं.

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्व किसी एक दिन समस्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा निर्धारित स्थानों (केन्द्रों) पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को अपने कार्यालय अथवा तहसील मुख्यालय में बुलाकर उनके प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए. प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनकी शंकाओं/पृच्छाओं का पूरी तरह समाधान किया जाए. उन्हें मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका तथा मतदाता सूची की एक–एक प्रति सहित अन्य समस्त सामग्री का प्रदाय भी उसी दिन किया जा सकता है.

(3) जिस स्थान (केन्द्र) में, प्राधिकृत कर्मचारियों को कार्य करना है, उसका रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं निरीक्षण करके, वहां बैठने और कार्य करने के लिये समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.

(4) प्रकाशित सूची की सुरक्षा और देखभाल का उत्तरदायित्व निरीक्षण के स्थान पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी का होगा और वह दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि के दौरान वहां पर निरन्तर उपस्थित रहेगा.

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सूची के निरीक्षण और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थानों (केन्द्रों) का निरन्तर निरीक्षण किया जाए और यदि वहां कार्य संचालन में किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा हो तो उसे तत्परता से दूर किया जाए.

(6) दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थान (केन्द्र) में मतदाता सूची के निरीक्षण हेतु आने वाले लोगों को बैठने के लिये एक बेंच या 2 या 3 कुर्सियों की व्यवस्था की जाए तथा सूची, वहीं पर एक मेज में रखी जाए. कमरे के बाहर एक नोटिस बोर्ड भी लगाया जाए. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे तथा आपत्ति के प्ररूपों (फार्मों) के एक-एक नमूने अपने कक्ष में किसी सहज दृश्य स्थान पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किए जाएं.

(7) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों को दावे तथा आपत्तियों से संबंधित कार्य सम्पादन के लिए निम्नांकित सामग्री उपलब्ध कराई जानी होगी. अतएव इनकी पहले से व्यवस्था कर ली जाए:-

(i) दावे तथा आपत्तियों के निर्धारित प्ररूप (फार्म)-क, ख तथा ग (परिशिष्ट-दस, ग्यारह एवं बारह).

(ii) दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण (परिशिष्ट-तेरह).

(iii) बाल प्वाइन्ट पेन.

(iv) स्टाम्प पैड.

(8) प्रत्येक प्राधिकृत कर्मचारी उस सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सम्बद्ध रहेगा जिसकी अधिकारिता क्षेत्र के वार्ड में उसे नियुक्त किया गया है और उसी के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा.

4. मतदाता सूची का प्रकाशन :

उस तारीख को, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की गई हो, मतदाता सूची आम लोगों के निरीक्षण के लिये प्रकाशित कर दी जाए. इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर परिशिष्ट-नौ में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए और उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाए.

*****

अध्याय–4
दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिये निर्धारित स्थान पर तैनात, प्राधिकृत कर्मचारी को दावे या आपत्तियां प्रत्येक कार्यकारी दिन कार्यालय समय के दौरान कभी भी, परन्तु अंतिम दिन 3.00 बजे अपरान्ह तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं. यदि कोई मतदाता चाहे तो सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है या डाक से भेज सकता है.

(2) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दावे, आपत्ति या प्रविष्टियों के संशोधन के लिये निर्धारित प्ररूप (फार्म) मांगे जाने पर (और यदि उसकी कोई कीमत निर्धारित की गई है तो उसका भुगतान किये जाने पर) तत्परता से प्रदाय किया जाए.

(3) सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन–पत्र ही स्वीकार किये जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से संबंधित आवेदन पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए. यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो) दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत की जाएं तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबंधित व्यक्तियों से अलग–अलग आवेदन पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग–अलग पूछ–तांछ की जानी होगी.

(4) दावे तथा आपत्तियां निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं:–

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित न होना, नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना तथा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है.

आयोग द्वारा विहित प्ररूप (फार्म) में प्रस्तुत किये गये दावे और आपत्तियां ही स्वीकार किये जा सकते हैं किसी अन्य प्रकार के प्ररूप में नहीं. दावे तथा आपत्तियां छपे हुए प्ररूप में ही प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है. वे प्ररूप की फोटो कापी, टंकित या चक्रमुद्रित प्रति या हस्तलिखित प्रति में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं. आयोग द्वारा विहित प्ररूप निम्नांकित हैं:–

I. **दावा**– दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है. दावा **परिशिष्ट–दस** में उद्धृत **''प्ररूप–क''** में किया जायेगा. दावे के समर्थन में संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किसी मतदाता के प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी है.

यदि कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची के एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप में दावा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा.

II. **आपत्तियां.**- आपत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं, अर्थात्:-

(i) **मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे** (जैसे-मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) **के संबंध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति.**- ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबंधित है और वह परिशिष्ट-ग्यारह में उद्धृत **''प्ररूप-ख** में की जायेगी.

(ii) **मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति.**- ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जा सकती है, और वह **''प्ररूप-ग''** में जो कि परिशिष्ट-बारह में उद्धृत है, प्रस्तुत की जाएगी. इस प्रकार की आपत्ति के समर्थन में सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किसी अन्य मतदाता के प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी हैं.

(5) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दावे तथा आपत्ति के संबंध में दावेदार या आपत्तिकर्ता को संगत प्ररूप के अंत में लगी हुई ''आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना'' हाथों-हाथ दी जाए. इसमें सुनवाई के लिए वह तारीख अंकित की जाए जो दावा या आपत्ति प्रस्तुत किये जाने की तारीख के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाला कार्यकारी दिवस हो. साथ ही, दावेदार या आपत्तिकर्ता से, प्ररूप में ही मुद्रित पावती पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए.

(6) प्राधिकृत कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि यदि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति प्ररूप (फार्म) भरने में कोई सहायता चाहे तो उसे आवश्यक सहायता या मार्गदर्शन दें.

(7) प्राधिकृत कर्मचारी, प्रतिदिन, उसे प्राप्त ''दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण'' **परिशिष्ट-तेरह** में, दो प्रतियों में, तैयार करेगा और उन्हें प्राप्त दावे और आपत्ति प्ररूपों के साथ, अगले दिन दोपहर से पहले सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज देगा. यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित ''निरंक'' दैनिक विवरण भेजा जाएगा. दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित **अंतिम तारीख को अपरान्ह 3.00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा.**

(8) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में प्रस्तुतकर्ता से पूछ-तांछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररूप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपार्ट दर्ज की जाए. पूछ-तांछ निम्नांकित बिन्दुओं के बाबत् की जानी चाहिए:-

(i) 1 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है? स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि क्या है और यदि ऐसा प्रमाण- पत्र न हो तो क्या अन्य दस्तावेज या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसकी आयु 18 वर्ष है?

यदि मतदाता 18 वर्ष से कहीं अधिक उम्र का हो तो उसके द्वारा पूर्व में विधान सभा की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण है? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है?

(ii) उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है? उसके परिवार में और कौन-कौन से लोग हैं?

(iii) जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहां हुई?

(iv) जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्यत्र चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने के लिये मांग) की गई है वह वहां रहता है या कब और कहां चला गया या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है?

(9) प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट को मान्य करने के लिये सहायक निर्वाचन अधिकारी बाध्य नहीं है. उससे यह अपेक्षित है कि वह मामले में अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकालें और आवश्यक होने पर अलग से जांच भी करें.

(10) रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, प्राधिकृत कर्मचारियों से प्रतिदिन पूर्वान्ह में, पिछले दिन से संबंधित समस्त दावों और आपत्तियों के प्ररूपों को परिशिष्ट-तेरह में तैयार किये गये दैनिक विवरण सहित अपने कार्यालय में मंगाने की समुचित व्यवस्था की जाए.

*****

अध्याय–5

कपितय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना

1. जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बहुधा इस आशय की जानकारी/शिकायतें प्राप्त होती हैं कि सूची में सम्मिलित अमुक–अमुक व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह:–

(1) नगरपालिका क्षेत्र से बाहर चला गया है, या

(2) नगरपालिका के एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है, या

(3) नगरपालिका के साथ–साथ किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में भी रजिस्ट्रीकृत है, या

(4) मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये अन्यथा हकदार नहीं है.

कभी–कभी किसी व्यक्ति का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में दो–दो स्थानों पर दर्ज होने की शिकायतें भी मिलती है.

लेकिन उपरोक्त प्रकार की शिकायतें करने वाले लोग स्वयं आगे आकर, मतदाता सूची के संशोधन के दौरान (अर्थात् प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात् दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की समयावधि के दौरान) विहित प्ररूप में आपत्ति नहीं करते. ऐसे मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 13(2)/छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2) के अंतर्गत इस प्रकार के नामों को स्वप्रेरणा से हटाए जाने की कार्यवाही की जा सकती है. प्राप्त शिकायत या जानकारी प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होने की आश्वस्ति हो जाने पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उसका अभिज्ञान लेते हुए स्वप्रेरणा से एक प्रकरण पंजीकृत किया जाए और संबंधित व्यक्ति को अर्थात् जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है उसे, **परिशिष्ट–चौदह** में दिये गये प्ररूप में उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) नोटिस भेजा जाए. मामले में सुनवाई की तारीख, नोटिस जारी होने के 3 दिन बाद की रखी जाए. संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित तारीख को प्रस्तुत अभ्यावेदन या मौखिक या लिखित साक्ष्य पर विचार करने के बाद उसके नाम को मतदाता सूची से हटाने के प्रश्न पर निर्णय किया जाए.

2. यह भी संभव है कि मतदाता सूची तैयार करते समय असावधानी या गलती से : –

(i) कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम छूट जाएं जिनके नाम विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में अथवा आयोग की पिछली मतदाता सूची में सम्मिलित थे, या

(ii) किसी मतदाता अथवा कुछ मतदाताओं की प्रविष्टियां उस वार्ड में दर्ज होने के बजाय जिसके वे मामूली तौर पर निवासी हैं, किसी अन्य वार्ड में दर्ज हो जाएं.

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जानकारी में यदि ऐसी कोई गलती आए तो उसे चाहिए कि वह मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान ही उसे ठीक करने के लिये उपचारी कार्यवाही करे. ऐसे मामलों में उसके द्वारा स्वप्रेरणा से छूटे हुए मतदाताओं के नामों को सूची में सम्मिलित करने अथवा गलत स्थान पर अंकित प्रविष्टियाँ सही स्थान पर अन्तरित करने हेतु प्रकरण पंजीकृत करके, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित की जाए. सूचना **परिशिष्ट–पन्द्रह** में जारी की जाए और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एक–एक प्रति निम्नांकित कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर लगाई जाए:–

(1) नगरपालिका कार्यालय, तथा

(2) वह कार्यालय जहां संबंधित वार्ड की मतदाता सूची सार्वजनिक निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये रखी गई है.

ऐसे मामलों में सुनवाई की तारीख, सूचना के प्रकाशन के 3 दिन बाद की निर्धारित की जाए और निर्धारित तारीख को प्रस्तुत अभ्यावेदन या किसी मौखिक या लिखित आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकरण में समुचित निर्णय किया जाए.

*****

अध्याय–6

दावों और आपत्तियों में जांच और उनका निपटारा

1. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रतिदिन प्राधिकृत कर्मचारियों से, दावे और आपत्तियों के प्ररूपों के साथ **परिशिष्ट–तेरह** में तैयार किये गये ''दैनिक विवरण'' की दो प्रतियां प्राप्त होगी. ''दैनिक विवरण'' की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए. यह प्रति, मामले में सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तक, नोटिस बोर्ड पर बराबर लगाकर रखी जाए.

दैनिक विवरण की दूसरी प्रति का उपयोग दावे और आपत्तियों का ''प्रकरण रजिस्टर'' संधारित करने के लिये किया जाए. यह रजिस्टर **परिशिष्ट–सोलह** में संधारित किया जाए.

2. ''प्ररूप–ग'' में प्राप्त आपत्तियों से संबंधित मामलों में, अर्थात् जिनमें मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई हो, आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है. अतएव ऐसे मामलों में आक्षेपित व्यक्ति को (अर्थात् जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है) सुनवाई के लिये उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) **परिशिष्ट–सत्रह** में दिये गये प्ररूप में, तुरन्त सूचना भेजी जाए. सूचना की 'तामील–रसीद' प्रकरण से संबंधित अभिलेख में रखी जाए. इस सूचना में सुनवाई के लिये वही तारीख अंकित की जाए जो कि आपत्तिकर्ता को प्राधिकृत कर्मचारी ने 'प्ररूप–ग' में उसकी आपत्ति प्राप्त करते समय संसूचित की हो.

3. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त दावों और आपत्तियों पर अथवा स्वप्रेरणा से पंजीकृत प्रकरणों में सुनवाई, उस तारीख को अवश्य करनी चाहिए जो दावेदार या आपत्तिकर्ता को दी गई पेशी तारीख की सूचना में अंकित है. निर्धारित तारीख को सुनवाई और आवश्यक जांच कर लेने से, न केवल पक्षकारों को सुविधा होती है वरन कार्य नियमित रूप से निपटता जाता है और आखरी दिनों के लिये काम का बहुत अधिक बोझ इकट्ठा नहीं होने पाता. सभी दावे और आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित तारीख तक अवश्य निपटा दिए जाने चाहिए.

4. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य का अधिकांश भाग मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिये दावों से संबंधित रहता है. ऐसे दावों में मुख्यतः यह देखा जाना होता है कि क्या दावेदार उस वर्ष की 1 जनवरी को, जिस वर्ष में मतदाता

सूची पुनरीक्षित की जा रही है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा क्या वह वस्तुतः संबंधित नगर का मामूली तौर पर (अर्थात् सामान्यतः) निवासी है.

जहां तक आयु का प्रश्न है, उसके लिये जन्मतिथि का कोई विश्वसनीय आधार (जैसे कि परीक्षा प्रमाण-पत्र, शाला पंजी या नगरपालिका के अभिलेख में लिखित जन्मतिथि आदि) उपलब्ध हो तो काम आसान हो जाता है, अन्यथा कोई आनुषंगी साक्ष्य जैसे कि भाई-बहनों की आयु ज्ञात की जानी चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय करना चाहिए.

जहां तक मामूली निवास स्थान (अर्थात् सामान्यतः निवास के स्थान) का प्रश्न है, यह तथ्य का प्रश्न है कि वह उस स्थान विशेष का निवासी है या नहीं.

मामूली तौर पर निवासी (सामान्यतः निवासी) का अर्थः

मामूली तौर पर निवासी स्थान (सामान्यतः निवास के स्थान) से आशय उस स्थान से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सामान्यतः सोने के लिये करता है. यह आवश्यक नहीं है कि वह उस स्थान पर खाना भी खाता हो. वह भोजन या काम, बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है. रहने के ऐसे सामान्य स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति की अनदेखी की जा सकती है. कुछ समय के लिये अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति के सामान्य निवास को तब तक समाप्त नहीं करेगा जब तक वह व्यक्ति वहां लौटने में समर्थ है और वहां लौटना चाहता है. इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि सांसद और विधायक, भले ही (सांसद या विधायक के रूप में) अपने कार्यकलापों के सिलसिले में अपने रहने के सामान्य स्थान से बाहर रहते हों फिर भी वे अपने नगर या ग्राम में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के हकदार होंगे. यह केवल तथ्य का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष का सामान्यतः निवासी है या नहीं? जो व्यक्ति नौकरी या व्यापार के लिये अपने ग्राम या नगर से बाहर गया हुआ ही माना जाएगा. संबंधित ग्राम या नगर में ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे के किसी भवन या अन्य सम्पत्ति से उसे सामान्यतः निवासी की योग्यता प्राप्त नहीं होगी.

जेलों, अस्पतालों आदि में रहने वाले व्यक्ति उन नगरों/वार्डों की मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते जिनमें ऐसी संस्थाएं स्थित हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं में अस्थायी अवधि के लिये ही रह रहे होते हैं. यही स्थिति लगभग अधिकांश छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में भी लागू होती है. परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था (जैसे कि किसी आश्रम या निकेतन) में लम्बे समय से रह रहा हो और उसका अपने सामान्य निवास के स्थान पर आते-जाते रहने का सिलसिला लम्बे अन्तराल से बन्द हो गया हो, तो उसे उस स्थान का सामान्य निवासी माना जा सकता है. जहां ऐसी संस्था स्थित हो. सामान्य सिद्धान्त यह है कि किसी व्यक्ति को उसके निवास के सामान्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए. भले ही वहां से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित भी क्यों न रहता हो, परन्तु उसे ऐसे पते पर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा हो.

5. संदेहास्पद मामलों में दावेदार/आपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है या दावेदार के निवास स्थान/मोहल्ले में जाकर स्थानीय पूछ-तांछ की जा सकती है. यदि किसी क्षेत्र से बहुत अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हों तो उनके उचित और शीघ्र निराकरण के लिये मौके पर ही संक्षिप्त जांच करना बहुत सहायक होगा.

6. दावेदार/आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित करने और ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसा कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उचित समझे, उसके द्वारा अपना निर्णय लेखबद्ध किया जाए तथा दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा मांग की जाने पर आदेश की एक प्रति तत्काल नि:शुल्क प्रदाय की जाए.

7. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निपटाए गए समस्त दावों और आपत्तियों का विवरण और उनमें अपने निर्णयों का सार, ''प्रकरण रजिस्टर'' (परिशिष्ट-सोलह) में दर्ज किया जाए. ''प्रकरण रजिस्टर'' की प्रत्येक प्रविष्टि के समक्ष रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाएं और यदि किसी प्रविष्टि में कोई काट-कूट हो तो वहां पर भी अपने लघु हस्ताक्षर किए जाएं. रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ में आखिरी प्रविष्टि के नीचे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किए जाएं और अपनी मोहर भी लगाई जाए.

*****

अध्याय–7

अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उनका प्रकाशन

1. सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ''प्रकरण रजिस्टर'' में की गई प्रविष्टियों के आधार पर वार्डवार ''अनुपूरक मतदाता सूची'' तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाए. अनुपूरक सूची **परिशिष्ट–अठारह** में दिये गये प्ररूप में तैयार की जाए. यह कार्य बहुत ही महत्वूपर्ण होने के कारण इसे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत निगरानी में सम्पन्न कराया जाए. इस कार्य में उन्हीं कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए जो कि पूर्व में मतदाता सूची का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये नियुक्त किये गये थे. प्रत्येक वार्ड और यदि वार्ड में एक से अधिक भाग हों तो प्रत्येक भाग के लिये एक अलग अनुपूरक सूची बनाई जाए.

'परिवर्धन' शीर्ष के अंतर्गत जोड़े गये मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नम्बर) मूलसूची की क्रम संख्या के आगे जारी रखे जायेंगे. उदाहरणार्थ यदि मूल सूची के सुसंगत भाग में अंतिम मतदाता की क्रम संख्या 950 हो तो परिवर्धन सूची, क्रमांक 951 से प्रारंभ की जाए और उस क्रमशः आगे बढ़ाया जाए.

'संशोधन' शीर्ष के अंतर्गत मूल मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के नाम, गृह क्रमांक, आयु आदि प्रविष्टियों की अशुद्धियों को दूर करते हुए उन्हें संशोधित रूप में दर्शाया जाएगा. जिन मतदाताओं के नाम संशोधन शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किये जाएं उनसे संबंधित प्रविष्टियों को मूल सूची में लाल स्याही से सुधार दिया जाए.

'विलोपन' शीर्षक के अंतर्गत मूल ऐसे मतदाताओं के नाम अंकित किये जाएंगे जो किसी भी कारण से संबंधित नगरपालिका में पंजीकृत मतदाता बने रहने के पात्र नहीं है. जिन मतदाताओं के नाम विलोपन सूची में शामिल किये जाएं उनके नाम मूल सूची में, लाल स्याही से, काट दिये जाएं.

2. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के समस्त वार्डों की अनुपूरक सूचियां उपरोक्तानुसार निर्धारित प्ररूप में तैयार कर लिये जाने के पश्चात् उन्हें क्रमवार व्यवस्थित किया जाए और अन्य सारे कागजपत्रों (जैसे कि प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियां और उनमें पारित आदेश, प्रकरण रजिस्टर) के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिया जाए. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी, अपने पास की अनुपूरक सूचियों और कागजपत्रों को भी ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाए और तदुपरान्त समस्त अनुपूरक सूचियों को समेकित करके उनकी एक फोटो कापी कराई जाए. इस प्रकार तैयार किए गए दो सेट्स में से एक सेट अपने पास रखते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दूसरा सेट जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रणार्थ भेज दिया जाए.

3. अनुपूरक सूचियों का मुद्रण.– जिला स्तर पर, सम्पूर्ण नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड की अनुपूरक सूची की उतनी ही प्रतियां मुद्रित कराई जाएं जितनी कि मूल मतदाता सूची की कराई गई हो. मुद्रण के दौरान ''प्रूफ रीडिंग'' का दायित्व पूर्ववत् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा, जो कि यह कार्य या तो स्वयं या किसी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में सम्पन्न कराएगा. अनुपूरक सूची की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मूल सूची में, सुसंगत वार्ड (या उसके भाग) के साथ संलग्न किया जाए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर क्रमांक डाला जाए. प्रत्येक वार्ड (या उसके भाग) की अनुपूरक सूची के अंत में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर लगाकर अभिप्रमाणित किया जाए.

यदि किसी वार्ड (या उसके किसी भाग) की मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन न भी किया गया हो तब भी उसके अंत में एक निरंक प्रविष्टि वाली अनुपूरक सूची जोड़ी जाए और उसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाए अर्थात् पृष्ठ क्रमांक दर्ज करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए.

4. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन.– (i) उस तारीख को जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई सूची का प्रकाशन आवश्यक है. इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, **परिशिष्ट–उन्नीस** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए और उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाए. उक्त कार्यवाही के साथ–साथ, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रत्येक ''सेट'' (Set) के **मुख्य पृष्ठ** (परिशिष्ट–छः) के अंत में अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर के अंतर्गत निम्नानुसार एक प्रमाण–पत्र अभिलिखित किया जाए:–

'' प्रमाणित किया जाता है कि नगरनिगम/ नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत ..... के लिए तारीख 01 जनवरी ..... के संदर्भ में तैयार की गई मतदाता सूची की यह अंतिम रूप से प्रकाशित सूची है ।

तारीख ..... मोहर . . . . . .

स्थान ..... रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(ii) मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की नगर स्थित इकाई को और यदि नगर–में ऐसी इकाई न हो तो जिला स्थित इकाई को, लिखित में इस आशय की सूचना भेजी जाए कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदाता सूची की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है.

(iii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के तीन सेट्स जिला निर्वाचन अधिकारी को (भावी उपयोग और संदर्भ हेतु) भेज दिये जाएं और शेष सेट्स निर्वाचन के समय स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाएं.

(iv) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् ऐसी लिपिकीय, तकनीकी एवं मुद्रण संबंधी त्रुटि, जो सहज दृश्यमान हो, नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तत करने की अंतिम तारीख और समय के पूर्व तक ठीक की जा सकती है. इस स्थिति के सिवाय निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक, मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता.

*****

अध्याय–8

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

1. छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 6(5) के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके आदेश के पांच दिन के अंदर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है. ऐसी अपील **परिशिष्ट–बीस** में दिये गये प्ररूप में, विवादित आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी. इस प्ररूप की प्रतियां, रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के कार्यालय में पहिले से ही, पर्याप्त संख्या में चक्रमुद्रित या मुद्रित कराके रखी जाएं और अपील करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, मांग करने पर, एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदाय की जाए. पेजः– 69

2. अपील प्रस्तुत होते ही अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई के लिये तारीख निर्धारित की जाए और तत्काल संबंधित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मूल अभिलेख तलब किया जाए. **संबंधित अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह संगत अभिलेख उसी दिन, अपील प्राधिकारी के पास पहुंचाए.** अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी संक्षिप्त जाचं करने के पश्चात् जैसी कि अपील प्राधिकारी ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा.

3. अपील प्राधिकारी का यह प्रयास होना चाहिए कि निर्वाचन के लिये नामनिर्देशन–पत्र दाखिल किये जाने का कार्य प्रारंभ होने के पहले ही उसके पास विचाराधीन सभी अपील–प्रकरणों का निराकरण हो जाए.

अपील प्राधिकारी के आदेश पर मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाहीः

4. यदि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील मान्य कर ली गई हो तो वह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को **परिशिष्ट–इक्कीस** में निर्देश देगा. अपील प्राधिकारी का आदेश प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम प्रकरण रजिस्टर के अन्त में, अपने हाथ से आवश्यक प्रविष्टि की जाए और उसके नीचे, अपील प्रकरण का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए. तत्पश्चात्, सुसंगत अनुपूरक सूची के अन्त में आवश्यक प्रविष्टि की जाए और उसे अभिप्रमाणित करते हुए उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए. पेजः–71

अपील प्राधिकारी के केवल ऐसे आदेश के अंतर्गत मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जाए, जो निर्वाचन नियम–21 के अंतर्गत जारी की गई सूचना में नामनिर्देशन के लिए नियत अंतिम तारीख तथा समय के पूर्व प्राप्त हो जाए. उसके बाद प्राप्त किसी आदेश पर, तब तक मतदाता सूची में संशोधन न किया जाए जब तक कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए अर्थात् निर्वाचन परिणाम घोषित न हो जाए.

*****

अध्याय–9

विविध

1. मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कागज–पत्रों की अभिरक्षा :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियां और उन पर रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील अधिकारी के आदेश, स्वप्रेरणा, से प्रारंभिक मतदाता सूची में किये गये संशाोधन से संबंधित कागज–पत्र तथा 'प्रकरण रजिस्टर' आदि कागज–पत्र मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरन्त बाद ठीक से व्यवस्थित करके जिला निर्वाचन अधिकारी के लेखागार में संरक्षित रखे जाने के लिये भेज दिये जाएं. ऐसे कागज–पत्र तब तक संरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि मतदाता सूची में आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा.

2. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण तथा उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति जारी करना:

(i) कोई भी व्यक्ति दो रूपए की फीस का नगद भुगतान करके, जिसके लिये उसे रसीद दी जाएगी, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है. इस प्रकार के निरीक्षण की सुविधा प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयीन कक्ष में और जिला स्तर पर उप–जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में उपलब्ध कराई जाए.

(ii) कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची के किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार है. प्रमाणित प्रति उतनी ही फीस का नकद भुगतान करने पर तथा उसी प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रदाय की जाए, जो कि राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के प्रदाय के लिये निर्धारित है.

3. मतदाता सूचियों की बिक्री:

बिक्री के प्रयोजन के लिये वार्ड की पूरी मतदाता सूची को एक ''इकाई'' माना जाएगा और उसे छोटे भागों (अर्थात् मोहल्लेवार या भाग क्रमांकवार टुकड़ों) में नहीं बेचा जाए. विक्रय, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत, तत्समय प्रभावशील दर पर किया जाए और विक्रय से प्राप्त राशि (कोषालय में) निम्नांकित मद में जमा की जाए :–

मद क्रमांक 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–02–चुनाव–800–अन्य प्राप्तियां–राज्य चुनाव आयोग की प्राप्तियां.

*****

मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में मतदाताओं की अर्हता/निरर्हता संबंधी कानूनी प्रावधान तथा ''मामूली तौर पर निवासी'' का अर्थ

(क) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत :

धारा 12. **मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना.**– धारा 13 तथा 14 के उपबंधों के रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो –

(ए) उस वर्ष की, जिसमें किसी वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,

(बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20, जो इस उपांतरण के अध्यधीन रहेगी कि उसमें ''निर्वाचन–क्षेत्र'' के प्रति किया गया निर्देश ''वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र'' के प्रति किया गया निर्देश है, के अर्थ के अंतर्गत मामूली तौर से निवासी है, और

(सी) उस विधान सभा निर्वाचक नामावली में, जिसका कि उस वार्ड से संबध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किया जाने के लिये अन्यथा अर्हित है,

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किए जाने का हकदार होगा:

परन्तु :–

(एक) कोई भी व्यक्ति उसी नगर में के एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किये जाने का हकदार नहीं होगा.

(दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा.

धारा 13. **मतदाताओं की अर्हता.**– (1) कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह–

(ए) भारत का नागरिक नहीं है, या

(बी) विकृत चित्त का है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या

(सी) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष-सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करें, नहीं बीत गई हो, या

(डी) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है.

(1-ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जो कि नाम दर्ज कर लिया जाने के पश्चात् इस प्रकार निरर्हित हो जाता है, नाम उस निर्वाचक नामावली में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा:

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन की निरर्हता के कारण निर्वाचक नामावली में से काटा गया है, उस नामावली में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो कि ऐसा हटाया जाना प्राधिकृत करती है.

(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि निगम की निर्वाचक नामावली में कोई भी प्रविष्टि-

(क) किन्हीं विशिष्टियों में गलत या त्रुटिपूर्ण है,

(ख) नामावली में अन्यत्र रखी जानी चाहिए, या

(ग) इस आधार पर लोप कर दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वह वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है,

तो वह प्रविष्टि को संशोधित करेगा, अन्यत्र रखेगा या उसका लोप करेगा:

परन्तु इस आधार पर कि संबंधित व्यक्ति वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है, या यह कि वह उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, कोई कार्यवाही करने से पूर्व यथास्थिति राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की बाबत् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

स्पष्टीकरण:– अभिव्यक्ति ''मामूली तौर से निवासी'' का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 12 के खण्ड (ख) में दिया गया है.

(ख) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत:

धारा 30 मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना. – धारा 31 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो–

(ए) उस वर्ष की, जिसमें किसी वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है,

(बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20 जो इस उपांतरण के अध्यधीन रहेगी कि उसमें ''निर्वाचन–क्षेत्र'' के प्रति किया गया निर्देश ''वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र'' के प्रति किया गया निर्देश है, के अर्थ के अंतर्गत मामूली तौर से निवासी है, और

(सी) उस विधान सभा निर्वाचक नामावली में, जिसका उस वार्ड से संबध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित है;

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किए जाने का हकदार होगा:

परन्तु–

(एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किये जाने का हकदार नहीं होगा;

(दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा.

31. मतदाताओं की निरर्हता.–(1) कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह–

(ए) भारत का नागरिक नहीं है, या

(बी) विकृत चित्त का है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(सी) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करें, नहीं बीत गई हो, या

(डी) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है.

(1–ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जो कि नाम दर्ज कर लिया जाने के पश्चात् इस प्रकार निरर्हित हो जाता है, नाम उस निर्वाचक नामावली में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा :

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन की निरर्हता के कारण निर्वाचक नामावली में से काटा गया है, उस नामावली में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो कि ऐसा हटाया जाना प्राधिकृत करती है.

(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में की कोई प्रविष्टि–

(क) किन्हीं विशिष्टियों में गलत या त्रुटिपूर्ण है,

(ख) नामावली में अन्यत्र रखी जानी चाहिए, या

(ग) इस आधार पर लोप कर दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वह वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस नामावली में नामदर्ज किए जाने का अन्यथा हकदार नहीं है,

तो वह प्रविष्टि को संशोधित करेगा, अन्यत्र रखेगा या उसका लोप करेगा :

परन्तु इस आधार पर कि संबंधित व्यक्ति उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है, या यह कि वह उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व यथास्थिति राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के बाबत् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

स्पष्टीकरणः– अभिव्यक्ति ''मामूली तौर से निवासी'' का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 30 के खण्ड (बी) में दिया गया है.

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अन्तर्गत ''मामूली तौर से निवासी'' का अर्थ

20. ''मामूली तौर से निवासी'' का अर्थ.–(1) किसी व्यक्ति की बाबत् केवल इस कारण कि वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है.

(1–क) अपने मामूली निवास–स्थान में अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत् केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है.

(1–ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान–मण्डल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत् इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन–क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है.

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्प से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है.

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता.

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबंध लागू है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किए होता तो वह, उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता.

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, निहित प्ररूप में किए गये और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बावत् कि यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण न किए होता, जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है.

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है .

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा.

(8) उपधाराओं (3) और (5) में ''सेवा अर्हता'' से–

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है.

****

मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित, ''छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994'' का उद्धरण

अध्याय–2–मतदाता सूची

3. मतदाता सूची का तैयार किया जाना और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.–(1) निर्वाचन आयोग प्रत्येक नगरपालिका के लिये अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए वार्डवार प्ररूप 1 में मतदाताओं की सूची देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में तैयार करवाएगा.

(2) निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक नगरपालिका के लिये एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की और नगरपालिका के मतदाताओं की सूची बनाने में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता करने के लिये, जैसा आवश्यक समझा जाए, एक या एक से अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा.

(3) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने हेतु सक्षम होगा.

4. दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये मतदाता सूची का प्रकाशन .– (1) जैसे ही मतदाता सूची तैयार हो जाए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूची में नाम सम्मिलित करने तथा उसमें की किसी प्रविष्टि की बाबत् आपत्ति के लिये ऐसे प्ररूप में, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए, सूचना प्रदर्शित करके दावे आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना (नोटिस) देगा तथा सूची की प्रति तैयार करके –

(क) अपने कार्यालय पर, यदि वह नगरपालिका के भीतर है;

(ख) नगरपालिका के कार्यालय पर; और

(ग) वार्ड में या उसके पास के किसी ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाएगा.

(2) सूचना में वह कालावधि, जिसके दौरान तथा वह अधिकारी जिसके पास आपत्तियां या दावे, यदि कोई आई हो, दाखिल किए जा सकेंगे तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसी आपत्ति तथा दावे यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(3) मतदाता सूची कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन की तारीख की कालावधि से कम से कम सात दिन के लिए जनता द्वारा निरीक्षण के लिए निःशुल्क खुली रहेगी.

(4) मतदाता सूची की प्रति, किसी भी व्यक्ति को, ऐसी फीस का भुगतान करने पर जैसी कि निर्वाचन आयोग साधारण तथा विशेष आदेश द्वारा नियत करे, प्रदाय की जाएगी.

5. **दावे तथा आपत्तियां.**– (1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों सहित प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट हो और जिसे स्वयं अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति का नाम उस सूची में सम्मिलित कर लिये जाने पर आपत्ति हो, नियम 4 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अन्तिम दिन अधिक से अधिक 3 बजे अपरान्ह तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात् प्राप्त होने वाला कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं की जाएगी.

(2) प्रत्येक दावा या आपत्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तथा विहित प्ररूप में की जाएगी और या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा.

(3) कोई दावा या आपत्ति, किन्हीं ऐसी दस्तावेजों सहित होंगे, जिन पर दावेदार या आपत्तिकर्ता निर्भर करता है.

6. **दावों तथा आपत्तियों का निपटारा.**–(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दावों या आपत्तियों के संबंध में ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, अपना विनिश्चय लेखबद्ध करेगा और ऐसे विनिश्चय की एक प्रति मांग की जाने पर दावेदार या आपत्तिकर्ता को निःशुल्क तुरन्त उपलब्ध करायेगा.

(2) इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा.

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची संशोधित करेगा.

(4) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अपील में यदि कोई हो, विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में रखी जाएगी और उसकी एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी.

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय के पांच दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए और अपील

प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी. अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, समुचित आदेश शीघ्र पारित करेगा और अपील के सफल होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश देगा कि वह मतदाता सूची को उसके विनिश्चय को प्रभावी करते हुए संशोधित करे. अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची में कोई संशोधन नियम 21 के अधीन जारी की गई सूचना में नाम-निर्देशन के लिये नियत अन्तिम तारीख तथा समय के पश्चात् तथा निर्वाचन पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायेगा.

7. प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण तथा जारी किया जाना.- जनता के प्रत्येक सदस्य को दो रूपये फीस का नकद भुगतान करने पर नियम 6 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और किसी आवेदक को उसकी प्रमाणित प्रतियां, उतनी फीस का नकद भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी, जितनी राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिये विहित की गई है.

8. मतदाता सूची की अस्तित्वावधि और उसका पुनरीक्षण.-(1) नियम 6 के उप नियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उपनियम (2) या उप नियम (3) के अनुसार उसका पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाए.

(2) ऐसी प्रत्येक सूची उस वर्ष की जिसमें उसका इस प्रकार पुनरीक्षण किया गया है, जनवरी के प्रथम दिवस के प्रतिनिर्देश से,-

(एक) नगरपालिकाओं के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति,

(दो) किसी नगरपालिका में स्थान भरने के लिए प्रत्येक उप-निर्वाचन के पूर्व.

(3) उप नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उप-निर्वाचन के पूर्व ऐसी सूची का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं होगा यदि ऐसा उप-निर्वाचन उस कलेन्डर वर्ष के दौरान होता है, जिसकी जनवरी के प्रथम दिन को सूची मूलतः तैयार की गई है:

परन्तु निर्वाचन आयोग, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा पर्याप्त समझे जाएं, उप-निर्वाचन करवाए जाने के पूर्व ऐसी सूची के पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा.

(4) पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 6 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची की विधिमान्यता या उसकी निरन्तर प्रवर्तन में रहना, उपनियम (2) के अधीन ऐसी सूची का पुनरीक्षण नहीं होने से या उपनियम (3) के परन्तुक अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार निर्देश दिये जाने से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा.

9. मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना.– नियम 9–क के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नियम 6 के अधीन मतदाता सूची को अंतिम दिये जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई सुधार या किसी नाम का समावेश या अपवर्जन नहीं किया जाएगा:

परन्तु किसी मतदाता से संबंधित अभिलेख पर दृश्यमान लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 21 के अधीन नामनिर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख और समय के पूर्व किसी भी समय ठीक की जा सकेगी.

9–क. कपितय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जाना.–(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि नियम 6 के अधीन नगरपालिका की मतददाता सूची के अंतिम रूप दिये जाने के बाद उसमें से संबंधित व्यक्ति के नाम का इस आधार पर विलोप किया जाना चाहिए कि वह संबंधित नगरपालिका के एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है या किसी अन्य नगरपालिका या किसी पंचायत की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस संबंध में आयोग द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निर्देशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी प्रविष्टि का विलोप करेगा :

परन्तु इस संबंध में कोई कार्रवाई करने के पूर्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोपन संबंधित नगरपालिका के किसी वार्ड से निर्वाचन के लिये नियम 21 के अधीन जारी सूचना में नामनिर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख के बाद आौर निर्वाचन पूरा होने के पहले नहीं किया जायेगा.

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप–नियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोप करने के अपने विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करेगा और संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर, ऐसे विनिश्चय की एक प्रतिलिपि तत्काल नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा.

(4) उप नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकेगा.

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् अपील कर उपयुक्त आदेश पारित करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा.

10. कागज–पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जाना.– नियम 4 के अधीन प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची तथा नियम 5 के अधीन प्राप्त दावे और आपत्तियां, उन पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेशों सहित तथा नियम तथा नियम 9–क के अधीन कार्रवाईयों से संबंधित कागज–पत्र तब तक जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि मतदाता सूचियों का आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्टकर दिया जाएगा.

*****

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी (नियम 3(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त)

क्र.	नगरपालिका का विवरण	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का पदनाम	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का पदनाम	अपील प्राधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1. (i)	नगर पालिका निगम जिला मुख्यालय का नगरपालिक निगम	उपजिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)	संयुक्त कलेक्टर/ सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)उप बंदोवस्त अधिकारी/अधीक्षक, भू–अभिलेख/तहसीलदार/ सहायक बंदोवस्त अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख	अपर कलेक्टर/ कलेक्टर
(ii)	जिला मुख्यालय के बाहर का नगर पालिक निगम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/उप बंदोवस्त अधिकारी/ सहायक बंदोवस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख	अपर कलेक्टर/ कलेक्टर

1.	2.	3.	4.	5.
2. (i)	नगरपालिका परिषद्: जिला मुख्यालय की नगरपालिका, परिषद्	उपजिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)	संयुक्त कलेक्टर/ सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ उपबंदोवस्त अधिकारी/सहायक बंदोवस्त अधिकारी/ अधीक्षक,भू–अभिलेख /तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ सहायक अक्षीधक,भू–अभिलेख	अपर कलेक्टर/ कलेक्टर
(ii)	जिला मुख्यालय के बाहर की नगर पालिका परिषद्	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या डिप्टीकलेक्टर	उप बंदोवस्तअधिकारी /तहसीलदार/सहायक बंदोवस्त अधिकारी/ अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक,भू–अभिलेख	अपर कलेक्टर/ कलेक्टर
3. (i)	नगर पंचायत जिला मुख्यालय की नगर पंचायत	उपजिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)	डिप्टी कलेक्टर/उप बंदोवस्त अधिकारी/ तहसीलदार/सहायक बंदोवस्त अधिकारी/ अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ सहायक अधीक्षक,भू–अभिलेख	अपर कलेक्टर/ कलेक्टर
(ii)	राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय की नगर पंचायत	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार	अपर तहसीलदार / ससहायक बंदोवस्त अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक,भू–अभिलेख	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(iii)	राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर पंचायत	तहसीलदार/अपर तहसीलदार	सहायक बंदोवस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक,भू–अभिलेख	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

आधारपत्रक

भाग–1

नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित ''विधान सभा निर्वाचक नामावली के भाग'' और उनके अंतर्गत आने वाले ''वार्ड''

विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली का भाग अनुक्रमांक	स्तम्भ (1) में उल्लिखित भाग अनुक्रमांक में शामिल कुल मतदाताओं की संख्या	स्तम्भ (1) में उल्लिखित भाग के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित वार्डों का विवरण तथा मतदाताओं की संख्या					स्तम्भ (2) तथा (7) में दर्ज संख्या में यदि कोई अंतर हो तो उसका कारण
		वार्ड का		वार्ड में शामिल मोहल्लों/क्षेत्रों का विवरण		मतदाताओं की संख्या	
		नाम	क्रमांक	नाम	मकान नं ... से.....		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6		.....	1				
		.....	2				
7							
योग							

आधारपत्रक

भाग–2

वार्डों के भाग और उनमें मतदाताओं की संख्या

वार्ड का विवरण		मतदाताओं की कुल संख्या	वार्ड के भाग और उनमें मतदाताओं की संख्या			
नाम	क्रमांक		भाग क्रमांक	मोहल्लों/क्षेत्रों का विवरण		मतदाताओं की संख्या
				नाम	मकान नंबर ...से....	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1		01			
			02			
	2		01			
			02			
			03			
	3		01			
			02			
	. . .					
	योग:					

न. पा. जगदीशपुर परिशिष्ट–पांच

मतदाता सूची

वार्ड क्रमांक.....12.....भाग क्रमांक (यदि हो).....02.....

वार्ड का नाम.....गांधी नगर..... मतदान केन्द्र क्रमांक.....24.....

मतदाता सूची सार विवरण (गोशवारा)

सम्मिलित मोहल्ले		गृह क्रमांक (यदि हो)			मतदाता क्रमांक			कुल
क्रमांक	नाम	क्र.	से	तक	क्र.	से	तक	मतदाता
1.	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी	1	से	27	1	से	62	62
2.	मोती कॉलोनी	28	से	44	63	से	125	63
3.	गांधी नगर	45	से	295	126	से	986	861
अनुपूरक सूची में सम्मिलित मतदाताओं की संख्या								–
मूल सूची में सम्मिलित मतदाताओं की कुल संख्या								986
दावों तथा आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् (अनुपूरक सूची के आधार पर) सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि या कमी:– वृद्धि.....(+) 14 कमी.....(–) 05								
सकल वृद्धि या कमी (+) 09 (–) –								09
पुनरीक्षित सूची में शामिल कुल मतदाता								995

वार्ड क्रमांक.....12.....(जगदीशपुर)

भाग क्रमांक...02...

अनु. क्र.	गृह क्र. (यदि हो तो)	मतादाता का नाम	पिता/पति का नाम	पु./ म.	आयु (वर्ष.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1	बसंत बारे नेमासाव		पु.	49
2.		आगा बारे वसंत		म.	39
3.	5	रघुवीर सिंह अरोरा	रामंचद	पु.	42
4.		रंजीत सिंह अरोरा	रघुवीर अरोरा	पु.	20
5.		सुमित्रा देवी रघुविर सिंह		म.	37
6.	6	ए.के. खरे सत प्रसाद		पु.	47
7.		रामकुमारी ए.के. खरे		म.	42
8.		संजय खरे ए.के.		पु.	18
9.	7	शंकरलाल रामदीन		पु.	32
10.		दमुबाई शंकरलाल		म.	22
11.		दुलारी रामदीन		म.	50
12.	8	कर्णसिंह दादोरिया पातीराम		पु.	25
13.		लीलावती कर्णसिंह		म.	20
14.	9	आविद अली साबिर अली		पु.	35
15.		शमशाद बी आबिद अली		म.	30
16.	11	बी.के. सिरोठिया रजनीकांत		पु.	30
17.		विमला बी.के. सिरोठिया		म.	25
18.	13	कमरूद्दीन बहीरूद्दीन		पु.	35
19.		नूरजहां कमरूद्दीन		म.	33
20.	14	एम.आर. भाया जीअतराम		पु.	52
21.		गीता एक.आर. भाया		म.	47
22.		कमलेश भाया एम.आर.		म.	22
23.		वैजयंती भाया एम.आर.		म.	20
24.	15	पी.सी. पारगीर ओंकारजी		पु.	34
25.		मुंजबाई पी.सी. पारगीर		म.	27
26.	16	एस.एस.उपाध्याय लक्ष्मीनारायण		पु.	35
27.		शीलादेवी एस.एस. उपाध्याय		म.	30
28.		सूरजमुखी लक्ष्मीनारायण		म.	58
29.	17	श्रीकृष्णचंद मेघराज		पु.	43
30.		प्रकाशरानी श्रीकृष्णचंद		म.	40
31.	18	कमरूद्दीन बदरूद्दीन		पु.	40
32.		दान बी कमरूद्दीन		म.	35
33.		जियाउद्दीन कमरूद्दीन		पु.	19
34.	19	सी.ए. नायडू एन.सी.		पु.	62
35.		धमन सी.ए. नायडू		म.	47
36.		इन्द्राणी नायूडू सी.ए.		म.	27
37.		विजयलक्ष्मी सी.ए. नायडू		म.	19
38.	20	रघुवरराव जाठाराम		पु.	27
39.		नयनी साहा ममा		पु.	25
40.		रामदेव साहा ममा		पु.	23
41.	21	एस.आर. रघुवंशी घुडियासिंह		पु.	34
42.		सूरज बाई घुडियासिंह		म.	60
43.		श्रीमती सुशीला एस.आर.रघुवंशी		म.	28
44.		श्रीराम रघुवंशी रामचंद		पु.	20
45.	22	एच.सी. वाधवा आर.डी.		पु.	30
46.		उषा वाधवा एच.सी.		म.	25
47.	23	एम.एल. मालविया घीसालाल		पु.	34
48.		कमल श्री एम.एल. मालविया		म.	24
49.	24	पुरूषोत्तम देवी दास		पु.	30
50.		शोभा पुरूषोत्तम		म.	25
51.	25	जीवनदास जवाहरमल		पु.	45
52.		देवीबाई जीवनदास		म.	25
53.		सरोजबाई श्याम सुंदर		म.	38
54.	26	सी.पी.आर.पी. शर्मा		पु.	35
55.		जी.सी.पी.पी शर्मा		म.	30
56.	26–अ	राम कृष्ण ओझा चंद्रपाल		पु.	35
57.		प्रभावति रामलाल ओझा		म.	30
58.	26–ब	गोपाल पन्नालाल		पु.	35
59.		मानकुंवर गोपाल		म.	30
60.	26–स	जानकी प्रसाद नाथूराम		पु.	40
61.	27	बाबूलाल गोविंद		पु.	36
62.		नीतू बाबूलाल		म.	20
		मोती कालोनी			
63.	28	नवीन यादव एम.एस. यादव		पु.	29
64.	29	मो. सईद मो.अजीम खान		पु.	80
65.		रसीदा खातून मो. सईद		म.	70
66.		आबिदा सईद अली मो. खान		म.	45
67.		मसूद सईद खान मो.सईद खान		पु.	46
68.		मसरूल सईदखान मो.सईद खान		पु.	32
69.		साजिद सईद खान मुनवर शा		म.	31
70.		ममून सईद खान मो.सईद खान		पु.	28
71.		कमर सईदखान मो. सईदखान		पु.	26
72.		अनवर मो. खान अली मो.खान		पु.	25
73.		ईसरार मो. खान अली मो.खान		पु.	21
74.	30	डी.एस. तिवारी कौशल प्रसाद		पु.	30
75.		सरोज तिवारी डी.एस.		म.	25
76.	31	रघु शुक्ला आर.के.		पु.	18
77.		डी. वी. शुक्ला आर.के.		पु.	19
78.	31/ए	लक्ष्मी शर्मा विष्णु प्रसााद		म.	26
79.		विष्णु प्रसाद शर्मा देवराज		पु.	32
80.	32	किशनलाल गुरूबख़्त		पु.	40
81.		रूपाबाई किशनलाल		म.	35
82.	33	पी.के. सेन गुप्ता		पु.	52
83.		आर. सेनगुप्ता पी.के. सेनगुप्ता		म.	47
84.	34	एस.जी चंद्राकर लखनलाल		पु.	34
85.		सन्नावती चंद्राकर एस.वी		म.	28
86.	20	सबलक चंद्राकर केशव		पु.	20
87.		शशिप्रभा बृजबिहारी		म.	45
88.	34/ए	आर.सी. तिवारी बाबूलाल		पु.	53
89.		सामादेवी आर.सी. तिवारी		म.	46

अनु. क्र.	गृह क्र. (यदि हो तो)	मतादाता का नाम	पिता/पति का नाम	पु./ म.	आयु (वर्ष.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
90.	35	एस.एम.हसन, सईद मो.		पु.	60
91.		साईदा हसन, एस.एम.		म.	55
92.		जुबेर हसन एफ.एम.		पु.	25
93.		विकाल हसन, एस.एम.		पु.	20
94.	36	अमामुद्दीन खान, सिकंदरखान		पु.	60
95.		इमामुद्दीन खान, अमामुद्दीन खान		म.	50
96.		राबिया खान, अमामुद्दीन खान		म.	24
97.		निजामुद्दीन खान,		पु.	22
98.	37	इकबाल अ. खान, अ.गनीखान		पु.	35
99.		साजिदा खान इकबाला अ.खान		म.	25
100.	37/ए	के.आर. नायडू, ए.के. कृष्णपिल्लई,		पु.	39
101.	37/2	एस.के.मिश्रा, शिवराम		पु.	24
102.	37/3	एस.बी.झारिया अकालीराम		पु.	28
103.	38	कस्तूरी बालमुकुन्द		म.	45
104.		राजेन्द्र प्रसाद बालमुकुन्द		पु.	22
105.		शांति करील बालमुकुन्द		म.	20
106.		मोहन लाल बालमुकुन्द		पु.	19
107.	39	नारायण प्रसाद शर्मा रामलालजी		पु.	48
108.		रामप्यारी बाई नारायण प्रसाद		म.	45
109.	40	ललित शर्मा, नारायण प्रसाद		पु.	22
110.		सुरेश शर्मा, नारायण प्रसाद		पु.	19
111.	41	ई.रसाईरियो ए.		पु.	53
112.		भेरी रसाईरिया ई.		म.	50
113.		जोस मार्टियों		पु.	22
114.		मेल रलाईरियों ई.		पु.	21
115.		एलिजाबेथ ई. रसाईरियो		पु.	19
116.	42	घनश्याम दास प्रेमचन्द्र		पु.	38
117.		गोपी बाई घनश्याम दास		म.	30
118.	43	महेन्द्र सिंह जगरसिंह		पु.	38
119.		हरपालकौर महेन्द्रसिंह		म.	32
120.		किकरसिंह जगरसिंह		पु.	20
121.		गेजासिंह जोरासिंह		पु.	34
122.		कलावती सिंह गेजसिंह		म.	30
123.		जितेन्द्र सिंह जोरासिंह		म.	24
124.		गावासिंह जोरासिंह		पु.	20
125.	44	नरूजनसिंह जगरसिंह		पु.	35
126.		हरमीतकौर नरूजनसिंह		पु.	32
		गांधीनगर			
127.	45	वहीद खा वहीद खा		पु.	28
128.		बाबूखा शेख मम्मू		पु.	55
129.		शकीना बी. मम्मू		म.	50
130.	46/1	जलील खां अमीर खां		पु.	75
131.		जुवेदा खा जलील खां		म.	55
132.		जीमल खा जलील खां		पु.	35
133.		तसलीम बी. जमील खां		म.	28
134.		नईमखा जीलल खां		पु.	30
135.		नसरीन खातून नईम खां		म.	23
136.		मुवीन खां जलील खां		पु.	27
137.		नलरीन बी. मुवीन खां		म.	22
138.		कु. ताहीर मुलतान जलील खां		म.	18
139.		मो.उद्दीन सराजुद्दीन		पु.	45
140.		नसीम बी. महनुद्दीन		म.	32
141.		अ. रजाक अ. शकूर		पु.	45
142.		नियाज बी. अली रजाक		म.	32
143.		अ. बाहाब अ. रजाक		पु.	20
144.		अ. शफाक अ.रजाक		पु.	18
145.	46/2	तनवीर अहमद जमीर अ.		पु.	40
146.		अफाब बेगम तनवीर अ.		म.	30
147.		जोहर बी. जमीर अ.		म.	65
148.	47	ताज खा बफाली खां		पु.	62
149.		जैतूनखां ताजखां		म.	40
150.		फैज खां ताज खां		पु.	40
151.		अलारखी फैजला		म.	30
152.	48	मो. खफीक मो. हफीज		पु.	40
153.		जहरून बी. मो. खटीक		म.	35
154.	49	कादिर हमीद		पु.	45
155.		हमीद कदिरा		म.	40
156.	50	बाबू मियां नरमी		पु.	30
157.		सजिदा बाबूमिया		म.	25
158.		उलफन बी. नूरमो.		म.	50
159.	51	वहीद खां वहीद खां		पु.	28
160.		बाबूखा शेख मम्मू		पु.	55
161.		शकीना बी. मम्मू		म.	50
162.	52	जलील खां अमीर खां		पु.	75
163.		जुवेदा खा जलील खां		म.	55
164.		जीमल खा जलील खां		पु.	35
165.		तसलीम बी. जमील खां		म.	28
166.		नईमखा जीलल खां		पु.	30
167.	54	नसरीन खातून नईम खां		म.	23
168.		मुवीन खां जलील खां		पु.	27
169.		नलरीन बी. मुवीन खां		म.	22
170.		कु. ताहीर मुलतान जलील खां		म.	18
171.		मो.उद्दीन सराजुद्दीन		पु.	45
172.	55	नसीम बी. महनुद्दीन		म.	32
173.		अ. रजाक अ. शकूर		पु.	45
174.		नियाज बी. अली रजाक		म.	32
175.		अ. बाहाब अ. रजाक		पु.	20
176.		अ. शफाक अ.रजाक		पु.	18
177.	56	तनवीर अहमद जमीर अ.		पु.	40
178.		अफाब बेगम तनवीर अ.		म.	30
179.	60	जोहर बी. जमीर अ.		म.	65
180.		ताज खा बफाली खां		पु.	62

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u> परिशिष्ट–छः

नगरनिगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत.....जिला.....

वर्ष.....

मतदाता सूची

वार्ड का विवरण		परिसीमन आदेश के अनुसार वार्ड का ब्यौरा (सम्मिलित क्षेत्र/मोहल्ले)	वार्ड की मतदाता सूची में भागों के क्रमांक और मतदाताओं की संख्या		मतदान केन्द्र क्रमांक
क्रमांक	नाम		भाग क्रमांक	मतदाताओं की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01			01		
			02		
			03		
योगः			योगः		

मोहर

.....

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(नगरपालिका)

परिशिष्ट–सात

प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).....

स्थान.....

क्रमांक.....

दिनांक.....

आदेश

विषय.– नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिये प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में नियुक्ति.

निम्नांकित कर्मचारियों को नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत..... की मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिये नामनिर्दिष्ट और प्राधिकृत किया जाता है.

2. प्राधिकृत कर्मचारी उक्त नगरपालिका की प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने, दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित फार्म (प्ररूप) उपलब्ध कराने तथा फार्म भरने में मार्गदर्शन देने और प्रस्तुत दावों तथा आपत्तियों को प्राप्त कर उन्हें आवश्यक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के साथ संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे:–

क्रमांक	प्राधिकृत कर्मचारी का विवरण		क्षेत्र का विवरण		अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिसके साथ सम्बद्ध रहेंगे
	नाम	पदनाम एवं कार्यालय	वार्ड क्रमांक	कार्यालय/स्थान जहां बैठकर सौंपा गया कार्य करेंगे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मोहर

.....

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(नगरपालिका)

वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपिः

(1) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिका निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत. .....को सूचनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .....

(3) संबंधित कर्मचारी, द्वारा (संबंधित कार्यालय प्रमुख).....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित. वे कृपया दिनांक.....को प्रातः/अपरान्ह.....बजे स्थान..... पर उपस्थित हों, जहां उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा आवश्यक निर्देश पुस्तिकाएं एवं फार्म आदि उपलब्ध कराए जाएंगे.

उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि–

(i) मतदाता सूची का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये जिस स्थान/कार्यालय में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वहां उन्हें प्रत्येक प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रातः 10.00 बजे से लेकर अपरान्ह 5.00 बजे तक निरन्तर उपस्थित रहना है. इसमें कोताही एक गंभीर कदाचरण माना जाएगा, जिसके लिये उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासन कार्यवाही की जाएगी.

(ii) प्रकाशित सूची, फार्म्स और अन्य कागज–पत्रों को वे संभालकर रखें. उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिये वे स्वयं पूर्णतया जिम्मेदार होंगे.

(iii) वे अपेक्षित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और वांछित जानकारियां समय पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करें.

(4) .....(संबंधित कार्यालय प्रमुख) को सूचनार्थ अग्रेषित. वे कृपया उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक.....से दिनांक.....तक पूरी तरह कार्यालयीन ड्यूटी से मुक्त रखें. इस अवधि के पूर्व भी उसे, प्रशिक्षण आदि के लिये जब बुलाया जाए, बराबर उपस्थित होने के लिए ताकीद करें.

.....
हस्ताक्षर
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(नगरपालिका)
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).....

स्थान.....

क्रमांक..... दिनांक.....

आदेश

विषय.– नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति.

नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....की मतदाता सूची तैयार करने से सम्बन्धित कार्य के लिये निम्नांकित अधिकारियों को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है:–

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम तथा (राजस्व में विभाग में धारित) पदनाम (2)

उपर्युक्त अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री.....पदनाम.....के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तथा उनकी अधिकारिता का क्षेत्र उन वार्डों तक सीमित होगा जो उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सौंपा जाए.

मोहर

.....

हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

प्रतिलिपिः

(1) .....(राजस्व विभाग में धारित पदनाम) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....को अग्रेषित.

(2) संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं .....(राजस्व विभाग में धारित पदनाम) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित.

इस दायित्व के निर्वाह हेतु उन्हें निर्देश पुस्तिका, फार्म्स एवं अन्य सामग्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

.....

हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

*****

मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना

[नियम 4(1) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्ररूप–अ]

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....

स्थान..... तारीख.....

सेवा में,

नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....जिला.....के मतदातागण

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:–

छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....की वार्डवार मतदाता सूची तैयार है और आम लोगों के नि:शुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध है.

2. मतदाता सूची 1 जनवरी.....के आधार पर तैयार की गई है.

3. कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीख के संदर्भ में, मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिये दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्ररूप (फार्म) में आज तारीख..... से कार्यालय समय के दौरान कभी भी, परन्तु तारीख.....को, जो कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की आखरी तारीख है, अपरान्ह 3 बजे तक नीचे वर्णित कार्यालयों/स्थानों में प्रस्तुत कर सकता है, विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत किये गये दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा.

मोहर

.....

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

कार्यालयों की सूची

(1) कार्यालय, जहां सभी वार्डों की मतदाता सूचियां निरीक्षण के लिए उपलब्ध है और जहां किसी भी वार्ड के सम्बन्ध में दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं:–

(i) कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एवं .....(राजस्व विभाग में धारित पदनाम) स्थान.....

(ii) कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं (राजस्व विभाग में धारित पदनाम)

(iii) कार्यालय, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....

(2) कार्यालय जहां केवल किसी वार्ड विशेष की मतदाता सूची उपलब्ध है और जहां उसके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं:–

क्रमांक	कार्यालय का नाम और स्थान	वार्ड का क्रमांक
1. 2. .		

प्ररूप–क

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिये दावा–आवेदन

[नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित ''प्ररूप–क''']

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....जिला.....

महोदय,

मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उपरोक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक.....में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए.

मेरा नाम (पूरा).....पुरूष/स्त्री.....

पिता/पति का नाम.....

गृह क्रमांक.....मोहल्ला/गली.....

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनसुार:–

(i) मैं भारत का/की नागरिक हूं.

(ii) गत 1 जनवरी को मेरी आयु .....वर्ष और ..... मास थी.

(iii) मैं ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यत: निवासी हूं.

(iv) मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिये मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन नहीं किया है.

(v) उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

या

मेरा नाम ग्राम/नगर.....जिला.....जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले सामान्यत: निवास कर रहा था/रही थी, की मतदाता सूची में सम्मिलित है, और मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उसे उक्त मतदाता सूची से हटा दिया जाए:–

*ग्राम.....वार्ड क्रमांक.....ग्राम पंचायत.....विकास खण्ड.....जिला.....

*नगर.....वार्ड क्रमांक.....तहसील.....जिला.....

स्थान.....

तारीख.....

.....

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

दावे का समर्थन

मैं उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूं जिसमें सम्मिलित किये जाने के लिये दावेदार ने आवेदन किया है. मेरा नाम उक्त नगर के वार्ड क्रमांक.....की मतदाता सूची के भाग क्रमांक.....पर दर्ज है. मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं.

.....
समर्थक के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....

टिप्पणी.– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख.....
(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

तारीख.....

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना
(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो .....
का/की निवासी है, से **प्ररूप–क** में आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान.....में स्थित अपने कार्यालय में तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों.

तारीख.....

प्राधिकृत कर्मचारी.....
वार्ड क्रमांक.....
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की टीपः-

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख.....को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है.

(2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार हैः-

.....
.....
.....
.....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

तारीख ..... **(नाम.....)**

वार्ड क्रमांक.....

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक..... **तारीख.....**

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....
का/की निवासी है, द्वारा ''प्ररूप-क'' में प्रस्तुत आवेदन को,-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक.....के भाग क्रमांक.....में सम्मिलित कर लिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया हैः-

.....
.....

मोहर

.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नगरपालिका.....

प्ररूप–ख

मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति

[नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित ''प्ररूप–ख'']

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....जिला.....

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूं कि उक्त नगर के वार्ड क्रमांक.....के भाग क्रमांक.....मतदाता सूची की प्रविष्टि, जो क्रमांक.....पर''.....'' के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है. कृपया उसे शुद्ध करें जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाए:–

.....

.....

स्थान.....

तारीख.....

.....

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा नाम.....

टिप्पणी.– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख.....

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत दावे/आपत्ति पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

.....

तारीख.....

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, से **प्ररूप–ख** में आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान.....में स्थित अपने कार्यालय में तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों.

तारीख.....

प्राधिकृत कर्मचारी.....
वार्ड क्रमांक.....
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की टीपः-

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख.....को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है.

(2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

.....
.....
.....
.....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

तारीख .....

(नाम.....)
वार्ड क्रमांक.....

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक..... तारीख.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....

का/की निवासी है, द्वारा ''प्ररूप-ख'' में प्रस्तुत आपत्ति को-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएगीः-

.....
.....

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया हैः-

.....
.....

मोहर

.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्ररूप–ग

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति

[नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित ''प्ररूप–ग'']

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....जिला.....

महोदय,

मैं, उपरोक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक.....के भाग क्रमांक.....में क्रमांक.....पर श्री/श्रीमती/कुमारी.....का नाम सम्मिलित किए जाने पर, निम्नलिखित कारण से आपत्ति करता/करती हूं:–

.....

.....

2. मैं, घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं. उक्त वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हुआ है:–

पूरा नाम .....पुरूष/स्त्री.....

पिता/पति का नाम.....

वार्ड क्रमांक.....भाग क्रमांक.....मतदाता क्रमांक.....

तारीख.....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

पूरा डाक पता.....

आपत्ति का समर्थन

मैं उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूं, जिसमें वह नाम दिया हुआ है जिस पर आपत्ति की गई है. मेरा नाम वार्ड क्रमांक.....की मतदाता सूची के भाग क्रमांक.....में क्रमांक.....पर दर्ज है. मैं इस आपत्ति का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं.

.....

मतदाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

टिप्पणी.– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख.....

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

तारीख.....

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, से प्ररूप–ग में आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान.....में स्थित अपने कार्यालय में तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों.

तारीख.....

प्राधिकृत कर्मचारी.....

वार्ड क्रमांक.....

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्टः–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख.....को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है.

(2) प्रारंभिक पूछ–तांछ के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

.....

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

तारीख .....

(नाम.....)

वार्ड क्रमांक.....

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक..... तारीख.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....
का/की निवासी है, द्वारा ''प्ररूप–ग'' में प्रस्तुत आपत्ति को,–

(क) स्वीकार कर लिया गया है कि उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक..... .....में क्रमांक.....पर उल्लिखित श्री/श्रीमती.....के नाम को निकाल दिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है:–
.....
.....

मोहर

.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नगरपालिका.....

नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत.....जिला.....

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख . . . . . .

भाग–1–दावे (नाम जोड़ने के लिए)

क्रमांक	दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड का विवरण जिसमें नाम जोड़े जाने का दावा किया गया है		जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भाग–2–आपत्ति:–(प्रविष्टियों के संशोधन के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग–3–आपत्ति:–(नाम विलोपित किये जाने के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

कार्य स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर

प्राधिकृत कर्मचारी

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....

प्रकरण क्रमांक..... स्थान.....

तारीख.....

प्रति,

.....

.....

.....

विषय.– नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....की मतदाता सूची से नाम हटाया जाना.

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नगरपालिका की मतदाता सूची से आपका नाम निम्नांकित आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव है:–

.....

.....

.....

(2) एतद्द्वारा आपसे पूछा जाता है कि आप कारण बताएं कि आपके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाए? आपका उत्तर मेरे पास निम्नांकित कंडिका में अंकित तारीख और समय तक पहुंच जाना चाहिए.

(3) यदि आप मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक हों तो, ऐसे साक्ष्य से साथ जो आप अपने अभ्यावेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहें, तारीख.....को समय 10. 30 बजे प्रातः स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों.

निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

मोहर

.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

हस्ताक्षर.....

(नाम.....)

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....

क्रमांक..... स्थान.....

तारीख.....

विषय.– नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....की मतदाता सूची में नाम शामिल करना.

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नगरपालिका की मतदाता सूची में, निम्नांकित तालिका में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम असावधानीवश छूट गये हैं, जिन्हें सूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है.

कोई भी व्यक्ति जिसे इन नामों को शामिल किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति हो, वह ऐसा कर सकता है और तारीख.....को समय 10:30 बजे प्रातः स्थान.....में स्थित मेरे कार्यालय में आवश्यक साक्ष्य के साथ, सुनवाई के लिये उपस्थित हो सकता है. निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

मोहर

हस्ताक्षर.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

तालिका

क्रम संख्या	मतदाता का नाम और पिता/पति का नाम	वार्ड का विवरण		
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	गृह क्रमांक

नगरनिगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत.....जिला.....

दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर

दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख	प्रकरण की शीर्ष और क्रमांक'		परिवर्धन/संशोधन/विलोपन से संबंधित व्यक्ति का विवरण				प्रकरण में पारित आदेश		रजिस्ट्रीकरण /सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
	शीर्ष	क्रमांक	नाम और पिता/ पति का नाम	मतदाता सूची से			तारीख	दावा/ आपत्ति स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत?	
				वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	सरल क्रमांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

*टीप–(1) दावा/आपत्ति के प्ररूप (फार्म) के अनुसार ही, शीर्ष के अंतर्गत ''क'', ''ख'' या ''ग'' लिखा जाए.

(2) प्राधिकृत कर्मचारियों से तारीखवार प्राप्त दावे और आपत्तियों पर तथा स्वप्रेरणा से दर्ज प्रकरणों में (यदि कोई हों) तारीखवार, बढ़ते हुए क्रम में, क्रमांक डाले जाएं और उसी क्रमांक को प्रकरण का ''क्रमांक'' शीर्ष के अंतर्गत लिखा जाए.

(आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप)

प्रकरण क्रमांक..... स्थान.....

तारीख.....

प्रति,

(आक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता)

.....

.....

.....

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....की मतदाता सूची में, वार्डक्रमांक.....(भाग क्रमांक.....) के अंतर्गत सरल क्रमांक.....पर आपका नाम शामिल किए जाने पर/आपसे संबंधित प्रविष्टि के कुछ ब्यौरे पर, निम्नांकित मतदाता ने आपत्ति की है:–

(आपत्तिकर्ता का नाम और पता)

.....

.....

.....

आपत्ति के आधार पर, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:–

.....

.....

.....

2. उपरोक्त आपत्ति पर मेरे द्वारा तारीख.....को समय 10.30 प्रातः मेरे कार्यालय में, जो कि स्थान.....में स्थित है, सुनवाई की जाएगी.

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप प्रस्तुत करना चाहें, उक्त सुनवाई के समय उपस्थित हों.

मोहर

हस्ताक्षर.....

(नाम.....)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील.....(आक्षेपित व्यक्ति का नाम).....पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर सूचना चस्पा करके आज तारीख.....को कर दी है.

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
(तामील करने वाला कर्मचारी)

नोट.- यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए.

प्रकरण क्रमांक.....

.

सूचना की तामील रसीद

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

तारीख.....

हस्ताक्षर या अंगूठा निशान...
(पूरा नाम.....)
(आक्षेपित व्यक्ति)

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u>

परिशिष्ट–अठारह

वर्ष.....

नगरनिगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत.....

अनुपूरक मतदाता सूची

वार्डक्रमांक.....भागक्रमांक.....

(1) परिवर्धनः

क्रमांक	गृह क्रमांक (यदि हो) और मोहल्ला	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरूष या महिला	आयु

(2) संशोधनः

मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम	दर्ज प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है)	संशोधित प्रविष्टि

(3) विलोपनः

मूल सूची का कमांक	मतदाता का नाम

परिशिष्ट–उन्नीस

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न.पा.).....

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....की वार्डवार मतदाता सूचियां, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन, 1994 के अनुसार, 01 जनवरी.....के संदर्भ में संशोधनों सहित, प्रकाशित कर दी गई हैं और मेरे कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं.

हस्ताक्षर.....

रजिस्ट्रकीरण अधिकारी

तारीख..... .....

स्थान..... .....

रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

[नियम 6(5) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्ररूप–घ']

स्थान.....
तारीख.....

प्रति,

अपील प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अपर कलेक्टर/कलेक्टर,
जिला.....

विषय.– रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के आदेशक्रमांक.....तारीख.....के विरूद्ध अपील.

महोदय,

विषयान्तर्गत नगर की मतदाता सूची तैयार करने के लिये नियुक्त वार्ड क्रमांक.....के प्रभारी रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, श्री.....के संदर्भित आदेश से व्यथित होकर मैं, उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करता/करती हूं. विवादित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है.

2. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष मैंने निम्नांकित आपत्ति/दावा किया था:–

.....
.....
.....

3. मेरी अपील के आधार निम्नांकित हैं:–

(1) .....
.....

(2) .....
.....

4. निवेदन है कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का विवादित आदेश निरस्त किया जाए तथा मेरा दावा/मेरी आपत्ति स्वीकार की जाए,

यदि अभ्यार्थी का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो तो उसका विवरणः-	हस्ताक्षर (अपीलार्थी).....
वार्डक्रमांक.....	नाम (पूरा).....
भागक्रमांक.....	पिता/पति का नाम.....
मतदाताक्रमांक.....	पता.....
	.....

घोषणा

मैं ऊपर वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त कंडिकाओं में उल्लिखित कथन सत्य हैं.

हस्ताक्षर (अपीलार्थी).....
नाम (पूरा).....

संलग्न.- (1) रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश तारीख..... की प्रतिलिपि.

(2) अपील के समर्थन में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज (यदि कोई हो)

अपील की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

श्री/कुमारी/श्रीमती.....पिता/पति का नाम.....द्वारा रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रभारी, वार्ड क्रमांक.....के आदेश तारीख.....के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें सुनवाई, तारीख.....को प्रातः 10.30 बजे की जाएगी. अपीलार्थी आवश्यक साक्ष्य के साथ मेरे कार्यालय में उपस्थित हो.

मोहर

.....
हस्ताक्षर
अपील प्राधिकारी.....
तारीख.....

(अपील प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जानी वाली सूचना का प्ररूप)

कार्यालय अपील प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी/अपर कलेक्टर/कलेक्टर),.....

क्रमांक..... स्थान.....

तारीख.....

प्रति,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगर निगम/नगरपालिका परिषद् /नगर पंचायत.....जिला.....

विषय.– छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 6(5) के अंतर्गत अपील में पारित आदेश.

मेरे समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....निवासी वार्ड क्रमांक.....नगर द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 6(5) के अंतर्गत सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री.....द्वारा प्रकरण क्रमांक.....में तारीख.....को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर की गई थी.

2. अपील में सुनवाई के पश्चात् मैंने तारीख.....को जो आदेश पारित किया है उसकी प्रति के साथ प्रकरण की मूल नस्ती लौटाई जा रही है.

संलग्न.– (1) प्रकरण की मूल नस्ती तथा

(2) अपील में पारित आदेश तारीख.....की प्रति.

मोहर

.....

हस्ताक्षर

अपील प्राधिकारी.....